वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201 301 (यू.पी.)

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

विषय–सूची

- संस्थान का विज़न और मिशन 1
- संस्थान का अधिदेश 2
- संस्थान की संरचना 3
- प्रमुख उपलब्धियाँ 7
- अनुसंधान 17

  रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 18

  सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 20

  लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 22

  कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र 25

  पूर्वोत्तर भारत केंद्र 33

  श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 38

  एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 43

  जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र 47

  अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 49

  राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र 54
- प्रशिक्षण और शिक्षा 56
- एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र 72
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 73
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन 75
- प्रकाशन 76
- संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन 79
- स्टाफ की संख्या 80
- संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची 81
- कर्मचारियों की सूची (समूह ख एवं ग) 82
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 2023–2024 83

संस्थान का विज़न और मिशन

विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना हैः–

- *कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना*
- *श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा हितधारकों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना*
- *वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और*
- *ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।*

संस्थान का अधिदेश

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और अधिदेश

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैंः–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्त्कालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

संस्थान एक महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है। इसमें केंद्र सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, माननीय सांसद और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष हैं। महापरिषद संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद के सदस्यों से नामित कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के संकाय सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी, जो कार्यालय प्रमुख भी हैं; लेखा अधिकारी, अन्य अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य महानिदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद का गठन

1.	श्री भूपेंद्र यादव माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	अध्यक्ष
2.	श्री रामेश्वर तेली माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	उपाध्यक्ष

केंद्र सरकार के छः प्रतिनिधि

3.	श्रीमती आरती आहूजा, आईएएस सचिव (श्रम एवं रोजगार) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	उपाध्यक्ष
4.	श्री शशांक गोयल अपर सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	सदस्य

5.	सुश्री जी. मधुमिता दास, आईपीओएस संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	सदस्य
6.	श्री कमल किशोर सोन, आईएएस संयुक्त सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	सदस्य
7.	श्री के. संजय मूर्ति, आईएएस सचिव माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001	सदस्य
8.	श्री के. एस. रेजिमोन, आईएएस संयुक्त सचिव (श्रम एवं कौशल कार्यक्षेत्र) कमरा संख्या 225 नीति आयोग नई दिल्ली–110001	सदस्य

दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक–एक)

9.	श्री सतीश कुमार गौतम माननीय सांसद (लोक सभा) 4, विंडसर पैलेस, अशोका रोड़ नई दिल्ली–110001	सदस्य
10.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा माननीय सांसद (राज्य सभा) 157, साउथ एवेन्यु नई दिल्ली–110001	सदस्य

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

11.	श्रीमती नीलिमा चिमोटे अखिल भारतीय सचिव भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), ए–403, विराल अपार्टमेंट्स, नाना शकरसेत रोड़ विशुन नगर, डोंबिवली (पश्चिम) – 421202 महाराष्ट्र	सदस्य

12. श्रीमती अमरजीत कौर — सदस्य
महासचिव
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)
एआईटीयूसी भवन, 35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

13. श्री अरविंद फ्रांसिस — सदस्य
सहायक महासचिव
भारतीय नियोक्ता परिषद
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली – 110001

14. श्री मुकेश कुमार जैन — सदस्य
प्रमुख, कार्पोरेट मामले
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
अखिल भारतीय निर्माता संगठन
दिल्ली राज्य बोर्ड, दिल्ली

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में अथवा उससे संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है

15. श्री सी. के. साजीनारायणन — सदस्य
भूतपूर्व अध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ
48/6, लिंक रोड़, अयानथोल
त्रिसुर, केरल

16. प्रो. सुनील माहेश्वरी — सदस्य
भारतीय प्रबंध संस्थान
वस्त्रपुर
अहमदाबाद – 380015 (गुजरात)

17. श्री उदय कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) — सदस्य
भूतपूर्व सचिव (आई एंड बी) एवं
सदस्य–केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/दिल्ली शाखा
डी–603, प्रतीक स्टाइलोम
सैक्टर–45, नौएडा – 201301
जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

18.	डॉ. अरूप मित्रा प्रोफेसर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अकबर भवन, सत्य मार्ग चाणक्य पुरी, नई दिल्ली – 110021	सदस्य

प्रमुख अनुसंधान संस्थान

19.	श्री संजय नंदन, भा.प्र.से. महानिदेशक महात्मा गांधी श्रम संस्थान ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास, मेम नगर अहमदाबाद – 380054 (गुजरात)	सदस्य

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रतिनिधि

20.	डॉ. अरविंद महानिदेशक वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सैक्टर–24, नौएडा–201301 जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)	सदस्य–सचिव

प्रमुख उपलब्धियाँ

❖ **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन एवं परामर्श कार्य करने वाला एक अग्रणी संस्थान है।** 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का पुनःनामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया। संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा है।

❖ **सामाजिक भागीदारों को परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना:** भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान ने **152** ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें देश भर से श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों और सामाजिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले **3464** प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। संस्थान ने **16** वेबिनार/कार्यशालाओं/अध्ययन दौरों एवं 06 विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जिनमें **740** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

❖ **नीति–निर्माण के लिए ज्ञान का आधार:** संस्थान ने श्रम के विभिन्न पहलुओं पर 21 अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन/पेपर शुरु किए और इनमें से 15 अनुसंधान परियोजनाएं/पेपर पूरे किए, जिन्होंने विभिन्न हितधारकों और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।

❖ **विशेषज्ञ समूह सेवाएँ:** संस्थान समय–समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/संगठनों जैसे कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आदि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मार्फत आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहा है जो नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

❖ **असंगठित कामगारों को सशक्त बनाना:** संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर **63** क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें **1182** प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह प्रदर्शित करना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक व आर्थिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

❖ **पूर्वोत्तर क्षेत्र के सरोकारों के समाधान के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण:** संस्थान ने **08** प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक साझेदारों के लिए किया। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के **206** कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है।

❖ **श्रम के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का हब (केंद्र):** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी आर्थिक और सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। वर्ष 2023–24 के दौरान आईटीईसी के तहत 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 29 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 136 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

❖ **श्रम मुद्दों से संबंधित सूचना एवं विश्लेषण का प्रसार :** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, *लेबर एंड डेवलपमेंट* (छमाही पत्रिका), *अवार्ड्स डाइजेस्ट* (तिमाही पत्रिका), *श्रम विधान* (तिमाही हिंदी पत्रिका), *वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष* (द्विमासिक पत्रिका), *चाइल्ड होप* (तिमाही पत्रिका) तथा *श्रम संगम* (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन शृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इनके अलावा, संस्थान समय–समय पर अन्य प्रकाशन जैसे 'वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन शृंखला' जिसमें कुछ मामला अध्ययनों/हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने वर्ष 2023–24 के दौरान 34 प्रकाशन प्रकाशित किये।

❖ **व्यावसायिक भागीदारी करना एवं उसे सुदृढ़ बनानाः** आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यावसायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा।

अंतर्राष्ट्रीय

❖ संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवम्बर 2018 को ट्यूरिन, इटली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

❖ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी–आईएलओ) के द्वारा 27 अगस्त से 01 सितंबर 2023 तक ***महिला उद्यमिता*** पर एक गेट–अहेड टीओटी आयोजित किया गया था और संस्थान की एक संकाय सदस्य डॉ. धन्या एम.बी., फेलो को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया था।

❖ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन के सहयोग से 04 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक हाइब्रिड मोड के माध्यम से ***श्रम संबंध और सामाजिक संवाद*** पर एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इसमें आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन के प्रशिक्षकों द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल के सत्र लिए गए और वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों एवं विशेषज्ञों के द्वारा आमने–सामने के सत्र लिए गए। इस पाठ्यक्रम में केंद्रीय श्रम सेवा, नियोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों के 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

❖ वीवीजीएनएलआई को भारत सरकार द्वारा **ब्रिक्स** देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य कार्य की दुनिया से संबंधित समकालीन सरोकारों पर अनुसंधान अध्ययन करना है। श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में निम्नलिखित अनुसंधान अनुसंधान अध्ययन पूरे हो चुके हैं:

✓ *'ई–औपचारिकता प्रथाओं'* पर अनुसंधान अध्ययन

✓ *'सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना,'* पर अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय

❖ संस्थान ने श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रसिद्ध संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया:

✓ राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा – 08.09.2023

✓ जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर – 15.09.2023

✓ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली – 27.03.2024

❖ **नीतिगत मुद्दों पर गहन बहस करने एवं प्रमुख पहलों के प्रसार हेतु मंच:** समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

श्री अमित निर्मल, उप महानिदेशक, महानिदेशालय (रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जेएनयू की उपस्थिति में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

➪ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 20 अप्रैल 2023 को **'भारत में रोजगार की गतिशीलता और चुनौतियाँ: वर्तमान और भविष्य'** पर आधे दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री कमल किशोर सोन, आईएएस, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। कार्यशाला की शुरुआत डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई के द्वारा प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुई। श्री अमित निर्मल, उप महानिदेशक, महानिदेशालय (रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने भी मुख्य भाषण दिया और पैनल चर्चा की अध्यक्षता प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने की। विशेषज्ञों के पैनल में प्रोफेसर अरूप मित्रा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी; श्री शेर वेरिक, प्रमुख, रोजगार रणनीतियाँ इकाई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा; प्रो. संदीप सरकार, आईएचडी; श्री राजीव कपूर, भारतीय उद्योग परिसंघ; श्री सी. के. साजीनारायण, बीएमएस; डॉ. धन्या एम बी, वीवीजीएनएलआई शामिल थे। कार्यक्रम में शिक्षा जगत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अभिसरण के लिए कार्य योजना विकसित करने के लिए दस ब्यूरो प्रमुखों के साथ एक **अभिसरण बैठक** का आयोजन किया। 16–17 मई 2023 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में आयोजित इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी संगठनों यानी ईएसआईसी, ईपीएफओ, डीजीएलडब्ल्यू, सीएलसी, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, डीजीफासली, वीवीजीएनएलआई, डीजीएमएस, श्रम ब्यूरो, डीजीई के लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा ने बैठक का उद्‌घाटन किया और एक साझा मंच पर काम करने के लिए अधिक अभिसरण विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। समापन सत्र की अध्यक्षता माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने की। प्रतिभागियों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के बाद माननीय मंत्री जी को एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए माननीय मंत्री जी ने इस पहल एवं कार्य योजना की सराहना की और श्रम कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण के लिए विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल के महत्व पर जोर दिया।

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से 12 जून 2023 को नौएडा में अपने परिसर में **'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस'** मनाया। बाल श्रम को समाप्त करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण और परस्पर जुड़े लक्ष्य हैं जिनके लिए स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। बाल श्रम को समाप्त करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जा

डॉ. अरविंद, महानिदेशक; आईएलओ इंडिया के प्रभारी उप निदेशक श्री सातोशी सासाकी और डॉ. मनोज जाटव, फेलो, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

सकते हैं। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संगठनों आदि के प्रतिनिधियों द्वारा बाल श्रम को समाप्त करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का समन्वय राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र, वीवीजीएनएलआई के समन्वयक डॉ. मनोज जाटव ने किया। आईएलओ इंडिया के प्रभारी उप निदेशक श्री सातोशी सासाकी ने डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 07 अगस्त 2023 को नियोक्ता संगठनों के लिए **'गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक'** पर एक विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और विचार–मंथन चर्चा का नेतृत्व किया। सुश्री जी. मधुमिता दास, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विशेष व्याख्यान दिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीजीएनएलआई ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस कार्यशाला में ओला, उबर, अमेज़न, पॉलिसी बाज़ार डॉट कॉम, अर्बन कंपनी, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडी सीसीआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों, वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों और शिक्षा जगत के विद्वानों ने भाग लिया। पहले सत्र के पैनलिस्टों में डॉ. बोरनाली भंडारी, प्रोफेसर, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), इंडिया सेंटर, नई दिल्ली; डॉ. साक्षी खुराना, वरिष्ठ विशेषज्ञ, कौशल विकास श्रम और रोजगार, नीति आयोग; श्री नागेश्वर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (समूह औद्योगिक संबंध) सिम्पसन एंड ग्रुप कंपनियां और ईसी, एआईओई चेन्नई; डॉ. ओंकार शर्मा, उप मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; एवं सुश्री स्मृति शर्मा, सार्वजनिक नीति (संचालन), अमेज़ॅन शामिल थे। गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता सुश्री जी. मधुमिता दास, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की। सत्र का संचालन डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय ने किया।

श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री जी. मधुमिता दास, संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, ने 14 अगस्त 2023 को श्रमिक संगठनों के लिए **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक** पर एक विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक वीवीजीएनएलआई ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और विचार–मंथन चर्चा का नेतृत्व किया। इस सत्र में सुश्री जी. मधुमिता दास, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार; श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव और श्री अमित निर्मल, उप महानिदेशक

(रोजगार) भी उपस्थित थे। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया। पहले सत्र के पैनलिस्टों में डॉ. बोरनाली भंडारी, प्रोफेसर, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) इंडिया सेंटर, नई दिल्ली; डॉ. साक्षी खुराना, वरिष्ठ विशेषज्ञ, कौशल विकास श्रम और रोजगार, नीति आयोग; डॉ. ओंकार शर्मा, डिप्टी सीएलसी उप मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री ऐश्वर्य रमन, ओएमआई फाउंडेशन; श्री शेख सलाउद्दीन, राष्ट्रीय महासचिव, तेलंगाना गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक यूनियन (टीजीपीडब्ल्यूयू) और श्री चंदन कुमार, वर्किंग पीपुल्स चार्टर नेटवर्क शामिल थे। गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की। सत्र का संचालन डॉ. एलीना सामंतराय फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया। कार्यशाला में विभिन्न पृष्ठभूमियों जैसे गिग श्रमिक, ट्रेड यूनियन नेता, शोधकर्ता, शिक्षाविद, गिग अर्थव्यवस्था पेशेवर और मंत्रालयों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों के 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. धन्या एम. बी. ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 15 मार्च 2024 को **'घर से कामः लचीले कार्य समय की नीति तैयार करना'** पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें सभी हितधारकों ने भविष्य में लचीले कार्य समय नीतियों को तैयार करने के लिए विस्तृत समावेशी अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक रूप से चर्चा की: (i) बेहतर जीवन संतुष्टि के लिए काम के अधिकतम दैनिक घंटे और वैधानिक आराम अवधि पर कार्य समय कानून और नियम; (ii) कोविड–19 संकट के दौरान कार्य समय और लचीलेपन के अनुभव; और (iii) महिला श्रम बल की भागीदारी पर प्रभाव, स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन, उत्पादकता और पुरुषों को अवैतनिक देखभाल कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन की जांच। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. शिखा आनंद, निदेशक (रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीबीआरए एनएलयू), सोनीपत के सहयोग से 20 मार्च 2024 को सोनीपत, हरियाणा में उनके परिसर में **"भारत में श्रम कानून सुधार और नई श्रम संहिताएंः मुद्दे और चुनौतियाँ"** पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय कुलपति और मुख्य संरक्षक प्रो. (डॉ.) अर्चना मिश्रा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीवीजीएनएलआई के पूर्व महानिदेशक श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी थे। उद्घाटन सत्र के अतिथि वक्ताओं में श्री पवन कुमार, जोनल हेड (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय मजदूर संघ; डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय और डॉ. रामफूल, रजिस्ट्रार, एनएलयू शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. बलविंदर कौर, श्रम अध्ययन केंद्र, डीबीआरएएनएलयू की निदेशक ने दिया। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता वीवीजीएनएलआई के डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो; डॉ. एलीना सामंतराय और डॉ. मनोज जाटव, फेलो ने की। सेमिनार में विश्वविद्यालय के अध्येताओं, पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों आदि द्वारा 64 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक सार पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉ. बलविंदर कौर और डॉ. एलीना सामंतराय पुस्तक की प्रधान संपादक थीं। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, वीवीजीएनएलआई और डॉ. बलविंदर कौर, डीबीआरएएनएलयू ने किया।

विशेष आयोजन

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महापरिषद की 51वीं बैठक 17 मई 2023 को श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और अध्यक्ष, महापरिषद की अध्यक्षता में हुई। सुश्री आरती आहूजा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उपाध्यक्ष, महापरिषद; सुश्री जी मधुमिता दास, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव, श्री सतीश कुमार गौतम, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा); श्री कामाख्या प्रसाद तासा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा); श्रीमती अमरजीत कौर, महासचिव, एआईटीयूसी; श्री अरविंद फ्रांसिस, सहायक महासचिव, फिक्की; श्री मुकेश कुमार

श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

जैन, अखिल भारतीय निर्माता संगठन; और डॉ. अरूप मित्रा, प्रोफेसर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने बैठक में भाग लिया। बैठक का समन्वय डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और वीवीजीएनएलआई की महापरिषद के सदस्य सचिव ने किया।

➪ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यपरिषद की 92वीं बैठक 28 जुलाई 2023 को सुश्री आरती आहूजा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई। सुश्री जी मधुमिता दास, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री कमल किषोर सोन, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री अमरजीत कौर, महासचिव, एआईटीयूसी; श्रीमती नीलिमा चिमोटे, अखिल भारतीय सचिव, बीएमएस; श्री अरविंद फ्रांसिस, कार्यकारी निदेशक, एआईओई; प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी, प्रख्यात व्यक्ति, आईआईएम, अहमदाबाद; डॉ. अरविंद, महानिदेशक एवं सदस्य सचिव, कार्यपरिषद, वीवीजीएनएलआई द्वारा समन्वित इस बैठक में शामिल हुए।

सुश्री आरती आहूजा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) कार्यपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करती हुईं

➪ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महापरिशद की 52वीं बैठक 29 जनवरी 2024 को श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और अध्यक्ष, महापरिषद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सुश्री आरती आहूजा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उपाध्यक्ष, महापरिषद; श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री जी मधुमिता दास, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव; सुश्री अमरजीत कौर, महासचिव, एआईटीयूसी; श्री मुकेश कुमार जैन, अखिल भारतीय निर्माता संगठन; और डॉ. अरूप मित्रा, प्रोफेसर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने बैठक में भाग लिया। बैठक का समन्वय डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और वीवीजीएनएलआई की महापरिषद के सदस्य सचिव ने किया।

श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

- संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और भारत में मई दिवस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 01 मई 2023 को 'मई दिवस और श्रम अधिकार' पर कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने किया। श्री सुरेन्द्र नाथ, भारत सरकार के पूर्व सचिव ने मई दिवस और श्रम अधिकारों के महत्व पर मुख्य भाषण दिया। प्रतिभागियों ने मई दिवस की प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। कार्यशाला का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।

- संस्थान ने 21 जून 2023 को '9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया। इसमें 100 अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। संस्थान के संकाय सदस्य श्री पी. अमिताभ खुंटिआ ने अपने स्वागत भाषण में योग दिवस समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला।

संस्थान के संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी योग सत्र में भाग लेते हुए

- संस्थान ने 05 सितंबर 2023 को वेबएक्स के माध्यम से *'विभिन्न श्रमिक मुद्दों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास'* पर एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्य श्रम संस्थानों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के प्रतिष्ठित समूह ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते

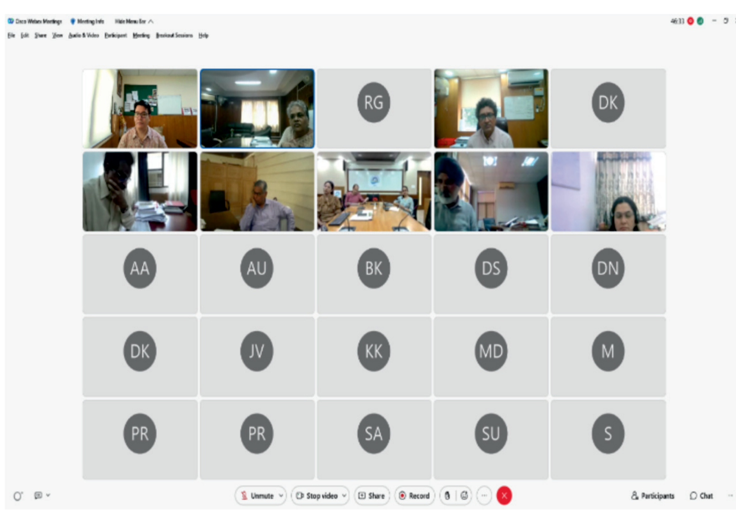

हुए और उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए की। इसके बाद डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने सभी उपस्थित लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान डॉ अरविंद ने कार्य की दुनिया में परिवर्तनों का अवलोकन प्रदान किया, इस मुद्दे के महत्व पर जोर दिया और इसके सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम नीतियों और कानूनों से संबंधित नई पहलों पर नियमित अपडेट के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न श्रमिक मुद्दों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के बीच 'भारत में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोशण प्रणाली की समीक्षा' पर परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर वीवीजीएनएलआई में 06 सितंबर 2023 को किए गए। इस अवसर पर संस्थान की ओर से डॉ. अरविंद, महानिदेशक और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो तथा आईएलओ की ओर से सुश्री मारिको ओची और श्री करुण गोपीनाथ, राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक–सामाजिक संरक्षण उपस्थित थे।

- **पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली**: संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे संपन्न पुस्तकालयों में से एक है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,675 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 108 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान को राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के साथ पंजीकृत किया गया है और यह **डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क), नई दिल्ली का संस्थागत सदस्य** बन गया है।

- आधुनिक भारत के निर्माण में श्रम की भूमिका पर प्रकाष डालते हुए संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष संग्रह के रूप में काम करने के लिए श्रम पर एक डिजिटल अभिलेखागार स्थापित किया है। इसमें श्रम अभिलेखागार की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) पर डिजिटल रूप में श्रम इतिहास पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लगभग **190000 पृष्ठ** अपलोड किए गए हैं।

- संस्थान को सफलतापूर्वक **आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन** प्राप्त हुआ है।

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है और इनका फोकस श्रम बल के हाशिए पर स्थित, वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों से निपटने पर है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है,

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धांतिक समझ को उन्नत बनाना,
- समुचित नीतिगत अनुक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और आनुभविक आधार बनाना, और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित एवं संगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। संस्थान की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का एक सहजीवी संबंध है। नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं संस्थानों के लिए एक प्रमुख तरीके से योगदान देने के अलावा अनुसंधान के आउटपुट संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान गतिविधियों के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है। संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा श्रम, श्रम बाजार और कार्य की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्यनीतियां, एजेंडा और अनुसंधान अध्ययन विकसित किए जा रहे हैं। निम्नलिखित नौ केंद्र श्रम एवं रोजगार में अनुसंधान से संबंधित प्रमुख विषयों पर अध्ययन करते हैं:

1. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
2. सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र
3. कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
4. लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र
5. पूर्वोत्तर भारत केंद्र
6. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
7. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
9. जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र
10. अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

जारी अनुसंधान परियोजना

1. श्रम संहिताओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण

उद्देश्य

- इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य कुछ प्रमुख औद्योगिक राज्यों द्वारा बनाए गए प्रमुख नियमों और विनियमों का विश्लेषण और उनकी तुलना करना है। तुलनात्मक विश्लेषण इन राज्यों में श्रम संहिताओं के तहत बनाए गए नियमों में समानता और अंतर की पहचान करने पर केंद्रित होगा।
- अध्ययन के तहत चयनित राज्यों की राज्य सरकारों के द्वारा बनाये गये नियमों की तुलना केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के साथ करना।

दायरा

केंद्र सरकार ने पहले ही सभी चार नई अधिनियमित श्रम संहिताओं के तहत नियमों के मसौदे तैयार कर लिये हैं। अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में इन नियमों में कुछ भिन्नता होना निश्चित है। यह अध्ययन भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश द्वारा श्रम संहिताओं के तहत बनाए गए नियमों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर केंद्रित है।

कार्यप्रणाली

- आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों, अधिसूचनाओं और प्रकाशनों के माध्यम से अध्ययन के तहत चयनित राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों का संकलन।
- संहिताओं और नियमों के तहत प्रमुख प्रावधानों जैसे कि वेतन, काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा लाभ, ठेका श्रम विनियम, औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र और चयनित राज्यों में अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों की तुलना करना।

निष्कर्ष और सिफ़ारिश

- कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मसौदा श्रम संहिताओं के तहत बनाए गए नियमों में समानता और अंतर की पहचान।
- नीतिगत सुधारों के लिए सिफ़ारिशें और श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को मार्च 2024 में शुरु किया गया था, एवं इसे जुलाई 2024 के मध्य तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशक : डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

प्रमुख कार्यशाला/वेबिनार

- भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए 'श्रम संबंध, श्रम कानून और श्रम संहिताएं' पर अभिमुखीकरण कार्यशाला

संस्थान ने रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद, यूपी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 23 अक्टूबर 2023 को नौएडा स्थित अपने परिसर में 'श्रम संबंध, श्रम कानून और श्रम संहिताएं' पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का विशिष्ट उद्देश्य प्रतिभागियों को मानव अधिकारों और श्रम पर संविधान के परिप्रेक्ष्य और भारत में श्रम कानूनों एवं श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में एक अभिविन्यास, जागरूकता और ज्ञान प्रदान करना था। कार्यशाला में 14 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो ने किया।

सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

विशेष रूप से विकासशील देशों में कार्य के अनौपचारिकरण में वृद्धि के कारण एक ओर तो कार्य के अनिश्चित और असुरक्षित स्वरूप सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर औपचारिक कार्यस्थलों के लिए डिज़ाइन की गई सुरक्षा प्रणालियाँ अक्सर अनौपचारिक श्रमिकों के लिए अप्राप्य होती हैं। इस प्रकार, बिना किसी सुरक्षा जाल के बढ़ते सामाजिक और स्वास्थ्य जोखिम एक बढ़ती हुई चिंता है।

भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, लाभों के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण के संदर्भ में क्षैतिज समानता उपलब्ध कराना एक चुनौती बन जाता है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण के प्रमुख मुद्दों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के सामने उभरती सामाजिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की सामाजिक संरक्षण कमजोरियों को समझना, विशेष रूप से श्रम बाजार परिवर्तनों और रोजगार के नए एवं अनिश्चित रूपों से जुड़े उभरते जोखिमों के संदर्भ में;
- सामाजिक संरक्षण नीतियों को समझना जो सभी के लिए मानव अधिकारों को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं, जिससे मानव पूंजी और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है;
- विषेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के संदर्भ में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य चुनौतियों को समझना;
- श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण और कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिशानिर्देशों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दस्तावेजों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना।
- स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों सहित सामाजिक सुरक्षा पर समावेशी प्रथाओं को विकसित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर रुझानों, हालिया नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करना।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

1. आंतरिक प्रवासी और सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी

भारत में आंतरिक प्रवासियों, विशेष रूप से मौसमी और चक्रीय प्रवासियों को अधिकांश सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंचना कठिन होता है और इसलिए कई बार उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। चूंकि कल्याण कार्यक्रम ज्यादातर केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के समवर्ती डोमेन में होते हैं, इससे आंतरिक प्रवासियों के लिए गंतव्य राज्यों के स्थानीय लाभों का लाभ उठाना विशेष रूप से कठिन हो जाता है।

उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य आंतरिक प्रवासियों की स्थिति का विश्लेषण करना और निम्नलिखित प्रयास करना है:

- सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में अल्पकालिक प्रवासियों के सामने आने वाली बाधाओं को समझना
- भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की संस्थागत संरचना को समझना जो प्रवासियों के लिए उपयुक्त योजनाओं को डिजाइन करने में कठिनाइयाँ पैदा करती हैं
- सरकार की हालिया पहलों को उजागर करना जो अस्थायी प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं
- प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पोर्टेबिलिटी के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाना।

परिणाम

प्रवासी श्रमिक, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अल्पकालिक प्रवासी, अपने गंतव्य पर कई चुनौतियों और जोखिमों का सामना करते हैं। हालाँकि, देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पोर्टेबिलिटी की कमी के कारण वे अधिकांश समय राज्य–विशिष्ट कल्याण कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए, कमजोर प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जनवरी 2023 में शुरू, और मार्च 2024 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो)

प्रमुख कार्यशाला

- **'गिग श्रमिकों के लिए समान अवसरः कानून और नीतिगत चर्चा' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के सहयोग से 27 मार्च 2024 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में 'गिग श्रमिकों के लिए समान अवसरः कानून और नीतिगत चर्चा' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और अनुसंधान अध्येताओं ने भाग लिया और अपने समृद्ध एवं व्यावहारिक विचार–विमर्श के साथ योगदान दिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीएनएलआई और डॉ. सोफी के.जे., राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा किया गया।

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

पूरे विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में श्रम बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अकेले कृषि क्षेत्र को सभी ग्रामीण श्रम शक्ति को पर्याप्त रूप से समा लेने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फिर भी रोजगार पैदा करने में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था की विविधता के लिए योगदान महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तृत शोध करनकी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित साक्ष्य उपलब्ध हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजारों में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन जटिलताओं का अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

व्यवहार अध्ययन का महत्व

आज हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की ओर देख रहे हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके पैमाने और दायरे की कल्पना मानव जाति ने नहीं की होगी।

विशेष रूप से कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल कठिन कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है बल्कि सॉफ्ट कौशल को भी कार्य संस्कृति के अनुरूप समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सॉफ्ट कौशलों, व्यवहारिक और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों से व्यक्तियों और उस संगठन, जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और कार्यस्थल में संस्कृति में सुधार करने में भी में मदद मिलेगी। सॉफ्ट कौशलों में लोगों के कौशल, सामाजिक कौशल, विशेषता और व्यक्तिगत खासियतें, दृष्टिकोण, करियर विशेषताएँ, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धि शामिल हैं, जो लोगों को दिन–प्रतिदिन के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है।

केंद्र का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और कर्मचारियों; केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों; सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों; पंचायती राज संस्थानों; ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि के व्यवहार और व्यवहार संबंधी कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। केंद्र विभिन्न संगठनों जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल, आदि के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि कर रहा है।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के साधन और तकनीक यथा मामला अध्ययन, रोल प्ले, प्रबंधन खेल, अभ्यास, अनुभवात्मक साझाकरण आदि शामिल हैं।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

1. हरित नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा पहलः राजस्थान का एक मामला

उद्देश्य

यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को समझने के लिए किया गया थाः

- हरित नौकरियों से संबंधित जागरूकता
- हरित रोजगार प्रदर्शित करने वाले व्यावसायिक क्षेत्र
- हरित नौकरियों के समर्थन और पहुंच के संदर्भ में विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को देखना
- चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने में मौजूदा हरित नौकरियों की क्षमता का आकलन करना
- स्थिरता बढ़ाने और हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें
- उन क्षेत्रों की जांच करना जहाँ हरित नौकरियाँ चल रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य में हरित नौकरियों की संभावनाओं को समझना।

परिणाम

- अध्ययन के विभिन्न निष्कर्ष पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली की आवश्यकता और उसके समर्थन के लिए हरित नौकरियों की प्रासंगिकता के संबंध में क्षेत्र में उच्च स्तर की जागरूकता का संकेत देते हैं।
- भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतिगत पहलों और स्थिरता की भाषा ने समाज में पर्यावरण समर्थक मानसिकता विकसित करने के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।
- हरित व्यवसायों की वृद्धि हो रही है।
- हालाँकि, उत्तरदाताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की खरीद, स्थापना और रखरखाव की उच्च लागत पर चिंता के कारण, घरेलू स्तर पर उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में आशंका व्यक्त की है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अगस्त 2023 में शुरू, और दिसंबर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

2. नीतिगत सार

(i) हरित नौकरियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षाः सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का एक मामला अध्ययन

उद्देश्य

- हरित नौकरियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के प्रावधानों की पहचान करना।

परिणाम

- अपनी विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरणीय चिंताओं के बहुआयामी मुद्दों को संबोधित कर रही है और शहरी स्वच्छता, जल प्रबंधन एवं जीवाश्म ईंधन के उपयोग

में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद में वृद्धि और कृषि क्षेत्र के साथ–साथ समग्र अर्थव्यवस्था में भी टिकाऊ व्यवहारों को प्रोत्साहित करने एवं उनका समर्थन करने जैसे क्षेत्रों पर काम कर रही है।

- सरकार पर्यावरण और कल्याण से संबंधित अपने विभिन्न अभियानों के माध्यम से घरेलू स्तर पर टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है।
- ये सभी प्रयास सरकार की हरित विकास रणनीति के निम्न तीन महत्वपूर्ण घटकों को चिह्नित करते हैं: जीवाश्म–ईंधन के उपयोग में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि और गैस–आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण।

(ii) रोजगार और कौशल विकास – एक मामला अध्ययन

उद्देश्य

भारत में रोजगार और कौशल विकास की स्थिति पर नीतिगत सार तैयार करना।

परिणाम

- इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 द्वारा उजागर किए गए रोजगार के रुझान देश के कार्यबल के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाते हैं। समग्र रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार, विशेषकर महिलाओं के मध्य, भारत की आर्थिक विकास क्षमता के लिए एक आशाजनक संकेतक है।
- भारत के स्नातक कौशल सूचकांक: 2023 जैसी रिपोर्टों में रोजगार योग्य प्रतिभा के लिए अग्रणी क्षेत्रों और शहरों की पहचान नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

अध्ययन दौरा

- यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ सोशल वर्क शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के छात्रों का अध्ययन दौरा। यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ सोशल वर्क शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के छात्रों ने 20 फरवरी 2024 को हमारे संस्थान का दौरा किया और संस्थान में चल रहे *बातचीत कौशल में सुधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम* प्रशिक्षण कार्यक्रम (20–21 फरवरी, 2024) के 'संचार कौशल में सुधार' विषयक सत्र में भी भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने इस अध्ययन दौरे का समन्वय किया।

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं और यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतराल विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल वाले प्रवासी कामगार होते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम आय एवं कम उत्पादकता होती है। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए सभी हितधारकों के द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। पारंपरिक श्रम आँकड़े वास्तविकता की आंशिक धारणा प्रदान करते हैं क्योंकि वे महिलाओं के काम को पर्याप्त रूप से चित्रित करने में असमर्थ हैं। श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और श्रम बाजारों की लैंगिक प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तंत्र की आवश्यकता है ताकि नीति निर्माताओं द्वारा निर्माण और कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर लिंग संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा में लाया जा सके। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने हेतु पूर्ण उत्पादक रोजगार, स्थिरता और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों के बारे में जागरूकता, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ होंगी। इस ढांचे के भीतर कार्य की दुनिया में लिंग से संबंधित विभिन्न आयामों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करने, परामर्शी कार्य, प्रकाशन का कार्य आदि करने के लिए लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य लिंग और श्रम अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति को सूचित करने के लिए अंतर्विधात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना भी है।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन/पेपर

1. संगठित विनिर्माण क्षेत्र में शहरी कामकाजी महिलाओं के सवेतन और अवैतनिक कार्यः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समय उपयोग पैटर्न का एक अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नौएडा और गुड़गांव में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में शहरी कामकाजी महिलाओं के रोजगार परिदृश्य को समझना है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में उनकी

भूमिकाओं पर विशेष जोर देने के साथ महिला श्रमिकों के लिए शहरी रोजगार परिदृश्य की व्यापक समझ प्रदान करना है। अध्ययन का उद्देश्य सवैतनिक रोजगार और महिलाओं द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करना है।

उद्देश्य

- विनिर्माण क्षेत्र पर विषेष ध्यान देने के साथ महिला श्रमिकों के शहरी रोजगार परिदृश्य को समझना।
- विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए सवेतन और अवैतनिक कार्य के बीच संबंध को (समय उपयोग पैटर्न के द्वारा) समझना।
- महिला श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं और सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक उनकी पहुंच को समझना।

परिणाम

- अध्ययन में पाया गया कि श्रमिक–बहुल विनिर्माण क्षेत्रों में खराब शैक्षिक स्थिति के साथ महिला श्रमिकों की काफी मौजूदगी है, वे रोजगार अनुबंधों की कमी के साथ अस्थायी नौकरियों में काम कर रही हैं।
- स्कूल जाने वाले बच्चों वाली विवाहित महिलाओं द्वारा अवैतनिक कार्यों में अधिक समय बिताया गया था।
- महिलाओं के लिए रोजगार अनुबंधों को औपचारिक बनाने, उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों एवं अधिकारों को रेखांकित करने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
- उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करना।
- महिला श्रमिकों के लिए कार्य–जीवन संतुलन का समर्थन करने वाली नीतियों और पहलों को शुरू करना, जैसे कि लचीली कामकाजी व्यवस्था, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं और अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को कम करने की पहल।
- प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता और सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों तक पहुंच सहित लक्षित सहायता और सेवाएं प्रदान करना।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2022 में शुरू, और मई 2023 में पूरा किया गया।

परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

2. महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से भारतीय श्रम बाजार में बदलाव पर नीति अनुसंधान पेपर

श्रम बाजार में महिलाओं की कम भागीदारी देश भर में नीतिगत बहसों का केंद्र बनी हुई है, खासकर तब जब देश ने 2004 के बाद से महिलाओं की कार्यबल दरों में भारी गिरावट देखी थी, जैसा कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा बताया गया था। महिलाओं की कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) में 2004–05 और 2017–18 के दौरान 6.7 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई थी, जो पूरे देश में एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता बनी हुई थी। यद्यपि वैश्विक एसडीजी (एसडीजी 5) के लिए भारत की प्रतिबद्धता आर्थिक जीवन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाती है। उच्च

अनौपचारिकता के बीच महिलाओं के लिए श्रम बाजार की चुनौतियाँ एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता बनी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा देश में आयोजित रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के पंचवर्षीय दौर में वार्षिक आधार पर रोजगार डेटा प्रदान करने की सीमाएँ थीं। हालांकि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने और साथ ही 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की शुरुआत करके उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में नीति बनाने के लिए श्रम बाजार के रुझान और संकेतकों का बार–बार निरीक्षण करने के लिए नियमित अंतराल पर श्रम बल डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दोहराया। हालांकि पीएलएफएस ने महिलाओं की कार्य भागीदारी दरों में वृद्धि की सूचना दी, लेकिन भागीदारी दर अभी भी कम है और लैंगिक अंतर बना हुआ है जिसे प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

इस संदर्भ में नीति अनुसंधान पेपर निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित हैः

उद्देश्य

- महिलाओं के लिए रोजगार के रुझान, क्षेत्रीय रोजगार में उनकी सांद्रता, रोजगार, सामाजिक समूहों में स्थिति, और राज्यों में महिलाओं की रोजगार और कार्य भागीदारी का अवलोकन प्रदान करना।
- श्रम बल में भाग लेने के लिए महिलाओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को उजागर करना।
- जहाँ तक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, कुछ विकासों की रूपरेखा तैयार करना।
- श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और कुछ राज्यों में अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए कुछ सरकारी पहलों पर विचार करना।
- महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना।

परिणाम

अनुसंधान पेपर में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत सिफारिशें प्रदान की गईं। कुछ सिफारिशों में ये शामिल हैंः छोटे और मध्यम उद्यमों में नौकरियों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्व–रोजगार की रक्षा करने जैसी क्षेत्रीय रोजगार नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना; उन राज्यों में उप–शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देना जहाँ महिलाओं ने कम कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) की सूचना दी है और महिलाओं के लिए अधिक रोजगार एवं आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में अधिक निवेश करना; कौशल कार्यक्रमों को डिजिटल प्रशिक्षण और डिजिटल पहुंच दोनों में कुशल बनाकर रोजगार योग्यता, नौकरी बनाए रखने, बढ़ी हुई सौदेबाजी की शक्ति आदि जैसे मापने योग्य परिणामों के साथ कौशल को एकीकृत करने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना; अवैतनिक और देखभाल कार्यों का पता लगाना और अवैतनिक कार्यों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नियमित समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित करना।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अक्तूबर 2023 में शुरू, और नवम्बर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

3. श्रम बल भागीदारी – लैंगिक अंतराल प्रवृत्तियों को मापना: उत्तर प्रदेश में आईटीआई का एक मामला

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था:

- व्यावसायिक प्रशिक्षण में भागीदारी में लैंगिक अंतर।
- आईटीआई स्नातकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के बीच लैंगिक अंतर।

परिणाम

- व्यावसायिक प्रशिक्षण में लैंगिक अंतर को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की गई।
- रोजगार मिलने पर आईटीआई स्नातकों द्वारा अनुभव किये गये लैंगिक अंतर की पहचान की गई।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

मामला अध्ययन को अप्रैल 2023 में शुरू, और दिसंबर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजनाएं

1. तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों की भेद्यता का मानचित्रण और उनके लिए वैकल्पिक आजीविका की पहचान करना

इस अध्ययन का लक्ष्य बीड़ी श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रुचियों और जरूरतों के बारे में बेहतर समझ विकसित करना है। यह अध्ययन तेलंगाना में उद्योग के असंगठित गृह–आधारित क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों की कामकाजी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य भेद्यता और तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों पर इसके प्रभाव की जाँच करता है। अध्ययन में बीड़ी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा विकसित करते हुए उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से मौजूदा नीतियों और कानून का विश्लेषण किया जाएगा। अंत में अध्ययन प्रमुख वैकल्पिक आजीविका मॉडल की पहचान करते हुए वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के प्रति उनकी इच्छा का पता लगाता है।

उद्देश्य

- तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों का दस्तावेजीकरण करना और बीड़ी श्रमिकों की आजीविका पर उनके प्रभाव का आकलन करते हुए उनकी आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों की जांच करना।
- तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों से संबंधित विभिन्न विधायी प्रावधानों, योजनाओं और नीतियों के कवरेज का मानचित्रण एवं समीक्षा करना, और यह पता लगाना कि मौजूदा श्रम कानूनों से संबंधित चार संहिताओं के आगामी कार्यान्वयन से इनमें कैसे परिवर्तन होने की संभावना है?
- तंबाकू उत्पादन और खपत में कमी के आसपास नीतिगत प्रतिबद्धताओं का जवाब देने के लिए बीड़ी श्रमिकों को प्रदान की जा रही वैकल्पिक आजीविका की समीक्षा करना।
- मौजूदा ढाँचे के भीतर एक नीतिगत ढाँचे का सुझाव देना जो मौजूदा कमजोरियों को संबोधित कर सके, बीड़ी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ा सके, साथ ही वैकल्पिक आजीविका विकल्पों का समर्थन

कर सके, विषेष रूप से उन संहिताओं के आलोक में जिन्हें वर्तमान में औपचारिक रूप दिया जा रहा है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को सितम्बर 2023 में शुरू किया गया, और अगस्त 2024 तक पूरा किया जाना है।

परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

2. भारत में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन

इस अध्ययन का लक्ष्य प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन को समझना है। अधिनियम में निहित कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने के साथ–साथ महिला श्रमिकों को मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करना भी इसका लक्ष्य है।

उद्देश्य

यह अध्ययन कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में आने वाली चुनौतियों और महिलाओं के रोजगार पर इसके प्रभावों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रवर्तन का आकलन करता है।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

- संशोधन के बाद प्रसूति प्रसुविधा कानून के तहत प्रावधानों को समझना।
- मातृत्व संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और अनुसमर्थन करने वाले देशों में प्रवर्तन प्रथाओं को समझना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत किए गए निरीक्षणों की संख्या का आकलन करना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत निरीक्षकों, ट्रेड यूनियनों और गैरसरकारी संगठनों द्वारा दायर किए गए मामलों की कुल संख्या का आकलन करना।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत दोषसिद्धि दर को समझने के लिए।
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 आदि के तहत कारावास/जुर्माने की अवधि सहित दंडों की कुल संख्या का आकलन करना।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को मार्च 2024 में शुरू किया गया, और सितम्बर 2024 तक पूरा किया जाना है।

परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/तकनीकी परामर्श

- **45वें बैच के आईएसएस अधिकारियों (एनएसएसटीए) के लिए श्रम और रोजगार के मुद्दों पर एक एक–दिवसीय कार्यशाला**

संस्थान ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय सांख्यिकी सेवा के 45वें बैच के

परिवीक्षार्थियों के लिए श्रम और रोजगार के मुद्दों पर 12 मई 2023 को एक एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सत्ताईस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री आलोक कुमार वर्मा, उप महानिदेशक, एनएसएसटीए द्वारा किया गया। श्री संतोष कुमार गुप्ता, निदेशक, एनएसएसटीए के द्वारा एक विशेष भाषण दिया गया। कार्य ााला में सत्र डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई; डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री प्रभाकर मिश्रा, पूर्व–उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार और डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा लिए गए। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

- **'आरटीआई प्रश्नों का उत्तर कैसे तैयार करें' पर एक दिवसीय ऑनलाइन विषयगत कार्यशाला (20 दिसंबर 2023)**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 20 दिसंबर 2023 को 'आरटीआई प्रश्नों का उत्तर कैसे तैयार करें' विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन विषयगत कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य आरटीआई अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करना और आरटीआई के प्रभावी उत्तर तैयार करना था। इस कार्यशाला में 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' पर कार्यशाला**

संस्थान ने 14 फरवरी 2024 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का विशिष्ट उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना था। कार्यशाला में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 मनाने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने शुक्रवार, 08 मार्च 2024 को 'महिलाओं में निवेशः प्रेरक समावेशन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का

उद्घाटन वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने किया। श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अतिथि वक्ताओं का परिचय दिया। मुख्य भाषण प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू द्वारा दिया गया। प्रो. कुमार ने महिला सशक्तिकरण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किये। स्वतंत्र पत्रकार श्री चारू तिवारी द्वारा एक विशेष व्याख्यान दिया गया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लोक परंपरा की प्रासंगिकता के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, श्री बी. एस. रावत, श्रीमती मंजू सिंह, श्रीमती निधि अग्रवाल और डॉ. एलीना सामंतराय ने काव्य पाठ भी किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो द्वारा दिया गया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय और श्री बी. एस. रावत ने किया।

- **'घर से काम: लचीले कार्यसमय की नीति तैयार करना' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला**

आज के बदलते कार्य परिदृश्य में लचीले कार्यसमय की स्थापना तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर हाइब्रिड कार्यस्थलों में जहां कर्मचारियों के पास दूर से या कार्यालय में काम करने का विकल्प होता है। लचीले कार्यसमय कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे बेहतर कार्य–जीवन संतुलन, नौकरी से संतुष्टि में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और समग्र कल्याण। यह शुरुआत कर्मचारियों के जीवन सूचकांक को अनुकूलित करने और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए हाइब्रिड कार्यस्थल में लचीले कार्यसमय स्थापित करने के महत्व की पड़ताल करती है। एक हाइब्रिड कार्यस्थल दूरस्थ कार्य और कार्यालय के काम को जोड़ता है, जिससे कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करने की अनुमति मिलती है।

उपरोक्त के संदर्भ में 15 मार्च 2024 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (हाइब्रिड मोड) आयोजित की गई थी जिसमें सभी हितधारकों ने भविष्य में लचीली कार्य समय नीतियों को तैयार करने के लिए विस्तृत समावेशी अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक रूप से चर्चा की:

- बेहतर जीवन संतुष्टि के लिए काम के अधिकतम दैनिक घंटों और वैधानिक आराम अवधि पर कार्यसमय कानून और विनियम।
- कोविड–19 संकट के दौरान काम करने के समय और लचीलेपन का अनुभव।
- महिला श्रम बल की भागीदारी पर प्रभाव, स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन, उत्पादकता और अवैतनिक देखभाल कार्य में भाग लेने के लिए पुरुषों के लिए प्रोत्साहन की जांच करना।

डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और डॉ. शिखा आनंद, निदेशक (रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- **भारत में श्रम कानून सुधार और नई श्रम संहिताएंः मुद्दे और चुनौतियाँ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी (20 मार्च 2024)**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीबीआरएएनएलयू), सोनीपत के सहयोग से 20 मार्च 2024 को सोनीपत, हरियाणा में उनके परिसर में "भारत में श्रम कानून सुधार और नई श्रम संहिताएंः मुद्दे और चुनौतियाँ" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय कुलपति और मुख्य संरक्षक प्रो. (डॉ.) अर्चना मिश्रा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीवीजीएनएलआई के पूर्व महानिदेशक श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी थे। उद्घाटन सत्र के अतिथि वक्ताओं में श्री पवन कुमार, जोनल हेड (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय मजदूर संघ; डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय और डॉ. रामफूल, रजिस्ट्रार, एनएलयू शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. बलविंदर कौर, श्रम अध्ययन केंद्र, डीबीआरएएनएलयू की निदेशक ने दिया। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता वीवीजीएनएलआई के डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो; डॉ. एलीना सामंतराय और डॉ. मनोज जाटव, फेलो ने की। सेमिनार में विश्वविद्यालय के अध्येताओं, पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों आदि द्वारा 64 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक सार पुस्तक का विमोचन किया गया। डॉ. बलविंदर कौर और डॉ. एलीना सामंतराय पुस्तक की प्रधान संपादक थीं। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, वीवीजीएनएलआई और डॉ. बलविंदर कौर, डीबीआरएएनएलयू ने किया।

पूर्वोत्तर भारत केंद्र

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर, प्रवास भी एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतःप्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुख अनुसंधान करने, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर भारत केंद्र (सीएनई) की स्थापना की। केंद्र का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नीति उन्मुख अनुसंधान एवं कार्यशालाएं/सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करना है। अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षेत्र इस प्रकार हैंः

केंद्र के प्रमुख अनुसंधान विषयः

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं श्रम
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

केंद्र के प्रमुख प्रशिक्षण विषय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालयों के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैंः

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व
- महिला कामगारों से संबंधित श्रमिक मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं/पेपर

1. भारत में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण प्रणाली की समीक्षा (आईएलओ द्वारा प्रायोजित)

उद्देश्य

➢ भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के नीतिगत ढाँचे, सार्वजनिक व्यय के पैटर्न, राज्यों में संसाधनों के आवंटन और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार के मार्गों पर विशेष ध्यान देते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की जटिलताओं और इसके विकास को समझना।

निष्कर्ष

- विश्लेषण वित्तीय वर्ष 2006–07 के बाद सामाजिक सुरक्षा लाभों पर संघ सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त व्यय में स्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है, जो 2021–22 में चरम पर पहुंच गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2021–22 में चरम पर था, जो मुख्य रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान शुरू की गई पहलों के कारण था।
- आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य आर्थिक रूप से वंचित राज्यों की तुलना में सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का तुलनात्मक रूप से कम हिस्सा आवंटित करते हैं। हालाँकि, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उभरता है, जो केरल और तमिलनाडु जैसे समृद्ध समकक्षों की तुलना में बिहार और झारखंड जैसे आर्थिक रूप से गरीब राज्यों की राजकोषीय मितव्ययिता को उजागर करता है।
- राज्यों की अपने संसाधनों से राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता और केंद्र की निधियों के हस्तांतरण पर कम निर्भरता राज्य–स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सिफ़ारिशें

- विशेष रूप से राजस्व व्यय में बजटीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सामाजिक क्षेत्र के धन का कुशल आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर सरकारों को खर्च की गुणवत्ता, पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों को सुनिश्चित करने और जहां आवश्यक हो संस्थागत सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को डिजाइन करने और निष्पादित करने में साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण अपनाने, नीति निर्माण में अनुसंधान निष्कर्षों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- अलग–अलग राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए राज्य–विशिष्ट रणनीतियाँ, विकेंद्रीकृत योजना को प्रोत्साहित करना और स्थानीय संदर्भों के साथ संसाधन आवंटन का संरेखण बहुत महत्वपूर्ण है। राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी कराधान नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को अंशदायी योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने के साथ–साथ सामान्य कराधान और निजी क्षेत्र की भागीदारी की भूमिका बढ़ाने के तरीके खोजने की जरूरत है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को सितम्बर 2023 में शुरू, और दिसम्बर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

2. भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) के लिए सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्तपोषण पर इश्यू पेपर

उद्देश्य

'सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्तपोषण पर इश्यू पेपर' नीतिगत सिफारिशों के लिए रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की चर्चा के लिए तैयार किए गए इश्यू पेपरों में से एक है, जिसे सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त सतत वित्तीय तंत्र और बजट की पहचान करने और इस पर चर्चा करने के लिए जी–20 देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच प्रसारित किया गया है।

निष्कर्ष और सिफ़ारिशें

- इस इश्यू पेपर ने सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्तपोषण पर सदस्य देशों की विभिन्न पहलों के अंतर्राष्ट्रीय नीति संवाद और आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान की। नीतिगत सिफ़ारिशों का उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सतत वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहतर नीतियों और मजबूत प्रशासन के निर्माण में मदद करने के लिए एक अच्छी तरह से कार्यशील वित्तपोषण मॉडल विकसित करना है।

पेपर को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

पेपर को सितंबर 2022 में शुरू, और दिसम्बर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजना

1. जी20 देशों में सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्तपोषण

उद्देश्य

- जी20 देशों में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण मॉडल की समीक्षा करना
- जी20 देशों में सतत वित्तपोषण पर नवीन और सर्वोत्तम प्रथाओं के दृष्टिकोण का पता लगाना

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को नवम्बर 2022 में शुरू किया गया और जून 2024 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

➢ छत्तीसगढ़ के श्रम निरीक्षकों के लिए श्रम संहिताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थेः मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता की मूल और प्रक्रियात्मक सामग्री का ज्ञान प्राप्त करना; श्रम प्रशासन के माध्यम से सुशासन को उजागर करना; और श्रम संहिताओं तथा श्रमिकों एवं नियोक्ताओं पर इनके प्रभावों को समझना। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 19 श्रम अधिकारियों ने भाग लिया। डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थे।

➢ ईएसआईसी के उप निदेशकों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा 11–26 सितंबर 2023 तक ईएसआईसी के उप निदेशकों के लिए एक प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 30 अधिकारी थे। ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थे।

➢ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डीजीएमएस के निदेशकों/उपनिदेशकों के लिए सॉफ्ट स्किल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ने 19–23 फरवरी 2024 तक खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय के निदेशकों/उप निदेशकों के लिए सॉफ्ट स्किल पर पाँच–दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 21 अधिकारियों ने भाग लिया। ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थे।

विशेष आयोजन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के बीच 'भारत में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण प्रणाली की समीक्षा' पर परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर 06 सितंबर 2023 को वीवीजीएनएलआई में किए गए। इस अवसर पर संस्थान की ओर से डॉ. अरविंद, महानिदेशक और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो तथा आईएलओ की ओर से सुश्री मारिको आउची और श्री करुण गोपीनाथ, राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक–सामाजिक संरक्षण उपस्थित थे।

- वीवीजीएनएलआई ने 12 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दिल्ली कार्यालय द्वारा आयोजित सामाजिक सुरक्षा पर अंतर–क्षेत्रीय दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) ढाँचे के तहत ब्राजील और भारत में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण प्रणाली की समीक्षा पर ज्ञान साझाकरण परामर्श में भाग लिया। श्री सतोशी सासाकी, उप निदेशक, आईएलओ और डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने परिचयात्मक और स्वागत भाषण दिया। डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. गुरप्रीत सिंह, सलाहकार ने भारत में सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण प्रणाली की समीक्षा पर अध्ययन की प्रस्तुति दी।

- श्रीलंकाई प्रतिनिधियों के अध्ययन दौरे के एक हिस्से के रूप में उनके लिए 'सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा की ओर' पर वीवीजीएनएलआई–आईएलओ कार्यशाला 13–15 मार्च 2024 को संस्थान में आयोजित की गई थी। श्री सातोशी सासाकी, उपनिदेशक, आईएलओ डिसेंट वर्क टीम फॉर साएथ एशिया दक्षिण एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया और संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में श्रीलंका से सरकार, उद्योग, यूनियनों और आईएलओ के आठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थे।

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केंद्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम और रोजगार के मुद्दों पर साक्ष्य–आधारित नीतियाँ तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियाँ की जाती हैं। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्कृष्ट श्रम
- मजदूरी
- कार्य का भविष्य

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

1. गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक पर अनुसंधान अध्ययनः विजन 2047

यह पेपर 2047 तक भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म कार्यबल की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास करता है।

उद्देश्य

यह शोध अध्ययन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरु किया गया थाः i) गिग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करने के लिए एक गणना अभ्यास करना। ii) गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालना और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए एक प्लेटफॉर्म श्रमिक की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इस पर एक विज़न बनाना। iii) भारतीय संदर्भ में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित मुख्य चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना। iv) नए युग की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक समावेशन को बढ़ाने के लिए नियामक और विधायी उपायों की जाँच करना।

परिणाम

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर के रुझानों सहित विभिन्न विश्लेषण किए गए हैं ताकि यह समझा जा सके कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना कैसे देख सकता है। इस अध्ययन में विश्व बैंक के आंकड़ों से और कुछ मान्यताओं के आधार पर तीन अलग–अलग परिदृश्यों के साथ 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति अनुमानित आय वृद्धि दर के रुझानों का विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। बाद में, इस शोध ने विशेष मान्यताओं के आधार पर विभिन्न डिजाइनों के साथ 2047 तक गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में रोजगार की गणना करने का भी प्रयास किया। इस अध्ययन में एनएसएस–ईयूएस 2011–12 और पीएलएफएस डेटा की मदद से 2030 तक गिग श्रमिकों की गणना के लिए नीति आयोग द्वारा अपनाए गए डेटा और पद्धति के समान डेटा और पद्धति को अपनाया गया है। तथापि, यह विज़न इंडिया 2047 के लिए गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में रोजगार की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का अनुमान है। यह अध्ययन विज़न इंडिया 2047 के

लिए विभिन्न नीतिगत सिफारिशों के साथ संपन्न होता है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अक्टूबर 2022 में शुरु, और अप्रैल 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. धन्या एम.बी., फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजनाएँ

1. 'प्लेटफ़ॉर्म रोजगार: श्रम बाजार में भूमिका और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक श्रम विनियमन की समस्याएं' पर श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क परियोजना (2024)

ब्रिक्स अनुसंधान नेटवर्क के तहत 'प्लेटफॉर्म रोजगार: श्रम बाजार में भूमिका और प्लेटफॉर्म श्रमिक श्रम विनियमन की समस्याएं' (2024) पर ब्रिक्स भारत के नेतृत्व में अध्ययन किया जा रहा है। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों के सदस्य संस्थानों के अलावा नेटवर्क को आईएलओ द्वारा प्रदान की गई तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से भी समर्थन प्राप्त है। श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य समसामयिक नीतिगत मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन करना है ताकि इन अध्ययनों के इनपुट का उपयोग नीति निर्माण के साथ–साथ ब्रिक्स श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों के विचार–विमर्श के दौरान किया जा सके। तदनुसार, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने अनुसंधान अध्ययनों के विभिन्न दौर शुरू किए हैं।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

चालू वर्ष में ब्रिक्स अनुसंधान नेटवर्क के फोकस के अनुसार नेटवर्क द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए हैं:

- भारतीय कानून में प्लेटफॉर्म रोजगार की मुख्य श्रेणियों की व्याख्या।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लेटफ़ॉर्म रोज़गार के विकास में मध्यम अवधि के रुझानों का एक सांख्यिकीय अनुमान।
- प्लेटफ़ॉर्म रोज़गार की संरचना का विश्लेषण (व्यवसाय और योग्यता, लिंग, आयु, शिक्षा और उद्योग द्वारा)। प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक–जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल और इसकी गतिशीलता।
- प्लेटफ़ॉर्म रोज़गार के कानूनी विनियमन की विशिष्टताएं और समस्याएं, जिनमें प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को बुनियादी सामाजिक गारंटी प्रदान करने के तंत्र शामिल हैं।
- सामाजिक साझेदारी के विकास के लिए प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के हितों और संभावनाओं के सामूहिक प्रतिनिधित्व की विशिष्टताएँ।
- प्लेटफ़ॉर्म रोज़गार फैलने के जोखिम और इस संबंध में सरकारी विनियमन के क्षेत्र के विस्तार के जोखिम (सरकार, व्यवसाय और जनसंख्या के विचारों में)।

अध्ययन की कार्यप्रणाली

यह सर्वेक्षण हैदराबाद, राजस्थान, मुंबई और दिल्ली में प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों साथ दो माँग–आधारित श्रेणियों टैक्सी चलाना और भोजन पहुँचाना (कैब ड्राइविंग और फूड डिलीवरी) में किया जाएगा। लक्षित स्थानों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये शहर देश में प्रवासन गलियारों में प्रमुख जगह हैं। वर्तमान अध्ययन में

मिश्रित–विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियाँ शामिल हैं। गुणात्मक प्राथमिक डेटा संग्रह विधियों में प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के साथ अर्ध–संरचित, गहन साक्षात्कार, खुली जाँच सूचियाँ, अन्य दृष्टिकोणों के साथ एफजीडी नियोजित आदि शामिल हैं। मात्रात्मक डेटा के संग्रह हेतु सर्वेक्षण करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अर्ध–संरचित प्रश्नावली पर आधारित क्लोज–एंडेड प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा। उपयुक्त नमूनाकरण तकनीक के साथ एक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण विधि का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को फरवरी 2024 में शुरू किया गया और अक्तूबर 2024 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम. बी., फेलो)

2. गिग अर्थव्यवस्था को नेविगेट करनाः भारतीय गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं के अनुभवों और चुनौतियों की एक अंतर्विषयक जांच

यह अध्ययन तेजी से बढ़ते क्षेत्र यानी प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है। अंतर्विषयक लेंस को अपनाकर अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि लिंग, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय असमानताएं जैसे विभिन्न कारक गिग इकॉनमी में महिलाओं के अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह सूक्ष्म समझ उन समावेशी नीतियों और प्रथाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो महिलाओं के लिए समान पहुंच और उचित व्यवहार का समर्थन करती हैं, और अंततः भारत में अधिक समावेशी आर्थिक परिदृश्य में योगदान देती हैं।

उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन के अनुसंधान उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- महिला गिग श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों का दस्तावेजीकरण करना और उनकी आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों की जाँच करना, साथ ही लैंगिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से गिग कार्य में महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं का आकलन करना और उन बाधाओं और बाध्यताओं का विश्लेषण करना जो गिग कार्य में महिलाओं को शामिल करने से रोकते हैं।
- यह विश्लेषण करना कि गिग अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करती है, विशेष रूप से आय सृजन और वित्तीय स्वतंत्रता के संदर्भ में।
- श्रम संहिताओं और राज्य गिग श्रमिक कानूनों सहित भारत में गिग श्रमिकों से संबंधित नवीनतम कानूनों और नियमों की जाँच करना, और सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे किसी भी कदम की जाँच करना जो महिला गिग श्रमिकों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि कानून और न्यायिक घोषणाएं।
- विशेष रूप से उन संहिताओं, जिन्हें वर्तमान में औपचारिक रूप दिया जा रहा है, के आलोक में मौजूदा ढाँचे के भीतर एक नीतिगत ढाँचे का सुझाव देना जो मौजूदा कमजोरियों को संबोधित कर सके, महिला गिग श्रमिकों के कल्याण को बढ़ा सके और उनके हितों की रक्षा कर सके।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन गुरुग्राम, दिल्ली और नौएडा में प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों और एग्रीगेटर्स के साथ चार माँग–आधारित श्रेणियों पर विचार किया जाएगा – घरेलू काम, ब्यूटीशियन कार्य, टैक्सी चलाना और भोजन पहुँचाना। लक्षित स्थानों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये शहर देश में प्रवासन गलियारों में प्रमुख जगह हैं, इनमें दिल्ली एक टियर 1 शहर है और गुरुग्राम एवं नौएडा टियर 2 शहर हैं। वर्तमान अध्ययन मिश्रित–विधि

दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके शामिल हैं। गुणात्मक प्राथमिक डेटा संग्रह विधियों में महिला गिग श्रमिकों (प्लेटफ़ॉर्म और गैर प्लेटफ़ॉर्म आधारित श्रमिकों) के साथ अर्ध–संरचित, गहन साक्षात्कार, खुली जाँच सूचियाँ, अन्य दृष्टिकोणों के साथ नियोजित एफजीडी आदि शामिल हैं। मात्रात्मक डेटा के संग्रह हेतु सर्वेक्षण करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अर्ध–संरचित प्रश्नावली पर आधारित क्लोज–एंडेड प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा। उपयुक्त नमूनाकरण तकनीक के साथ एक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण विधि का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को फरवरी 2024 में शुरू किया गया और जनवरी 2025 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम. बी., फेलो एवं श्रीमती प्रज्ञा परांडे)

कार्यशालाएँ / वेबिनार

- **'भारत में रोजगार की गतिशीलता और चुनौतियाँः वर्तमान और भविष्य' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 20 अप्रैल 2023 को 'भारत में रोजगार की गतिशीलता और चुनौतियांः वर्तमान और भविष्य' पर एक अर्ध–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री कमल किशोर सोन, आईएएस, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। कार्यशाला की शुरुआत डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई के द्वारा प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुई। श्री अमित निर्मल, डीडीजी, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने भी मुख्य भाषण दिया और पैनल चर्चा की अध्यक्षता प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने की। कार्यक्रम में शिक्षा जगत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **अंबेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से श्रम अध्ययन पर अनुसंधान पद्धति कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के सहयोग से 10–12 मई 2023 के दौरान डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी), कश्मीरी गेट परिसर, दिल्ली में श्रम अध्ययन पर एक अनुसंधान पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र, सामाजिक मानवविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, विकास अध्ययन और अन्य संबंधित सामाजिक विज्ञान विषय के क्षेत्रों में काम करने वाले अनुसंधान अध्येताओं, जो श्रम अध्ययन पर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अनुसंधान पद्धतियों को अपनाते हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करना है। डॉ. अरविंद महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने इस सहयोगात्मक कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में डॉ. रिंजू रसाइली स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, एयूडी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया; डॉ. संतोष कुमार सिंह, डीन, स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज ने स्वागत भाषण दिया; अतिथियों का सम्मानित प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत, डीन, अकादमिक मामले ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया। वीवीजीएनएलआई और अंबेडकर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों पर व्याख्यान दिए। अंतिम दिन, समापन भाषण डॉ. उमा रानी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), जिनेवा द्वारा दिया गया और प्रमाण पत्र डॉ. नितिन मलिक, रजिस्ट्रार, एयूडी द्वारा दिये गये। कार्यशाला में विभिन्न केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्येताओं और संकाय सदस्यों सहित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई एवं डॉ. रिंजू रसाइली, स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, एयूडी ने किया।

- **नियोक्ता संगठनों के लिए गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक पर विचार–मंथन कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 07 अगस्त 2023 को नियोक्ता संगठनों के लिए गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक पर एक विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और विचार–मंथन चर्चा का नेतृत्व किया। सुश्री जी. मधुमिता दास, वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक विशेष भाषण दिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यशाला में ओला, उबर, अमेज़न, पॉलिसी बाज़ार डॉट कॉम, अर्बन कंपनी, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडी सीसीआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों, संकाय सदस्यों, वीवीजीएनएलआई और शिक्षा जगत के विद्वानों ने भाग लिया।

- **श्रमिक संगठनों के लिए गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक पर विचार–मंथन कार्यशाला (14 अगस्त, 2023)**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 14 अगस्त 2023 को श्रमिक संगठनों के लिए गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक पर एक विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने मेहमानों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और विचार–मंथन चर्चा का नेतृत्व किया। सुश्री जी मधुमिता दास, वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव, श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव और श्री अमित निर्मल, डीडीजी, रोजगार महानिदेशालस भी सत्र में उपस्थित थे। कार्यशाला में विभिन्न पृष्ठभूमियों जैसे गिग श्रमिक, ट्रेड यूनियन नेता, शोधकर्ता, शिक्षाविद, गिग अर्थव्यवस्था पेशेवर और मंत्रालयों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों के 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला का समन्वय किया।

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रमः परिचय

- आईएलएचआरपी एक विशेष अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे वीवीजीएनएलआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

कार्यक्रम की संरचना

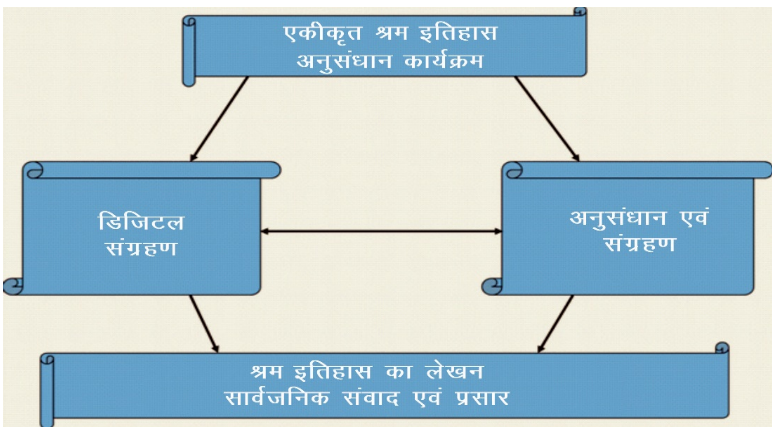

भारतीय श्रमिकों के डिजिटल अभिलेखागार की विशेषताएं

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- संवर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं

1. स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिक नेताओं की भूमिका

उद्देश्यः

- स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में श्रम और श्रमिक आंदोलन द्वारा किए गए योगदान का दस्तावेजीकरण करना।
- श्रमिक आंदोलन को उपनिवेषवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ने और सामाजिक न्याय, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के विचारों को बढ़ावा देने में ट्रेड यूनियनों द्वारा निभाई गई भूमिका का दस्तावेजीकरण करना।

दायराः

श्रमिक आंदोलन और ब्रिटिष विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन और दस्तावेजीकरण; श्रमिक आंदोलन और सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण।

निष्कर्ष:

इस प्रकाशन में हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिक नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर गहनता से चर्चा की है, जिसमें श्रमिक कल्याण और राष्ट्रीय मुक्ति, दोनों के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान और अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से इन नेताओं ने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने और सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उनमें से कई के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण और साथ ही शुरुआती श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत से 150 से अधिक वर्षों की अवधि में उनके द्वारा किए गए विशाल योगदान को दस्तावेज करने की सीमा के कारण प्रत्येक श्रमिक नेता को इस प्रकाशन में शामिल करना संभव नहीं था।

भारत में श्रमिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास था, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए असंख्य व्यक्तियों के जुनून, त्याग और दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। इन ज्ञात और अज्ञात नेताओं ने शोषण, अन्याय और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया। उनके संघर्ष, कठिनाइयाँ और उपलब्धियाँ हमारे अत्यधिक सम्मान और मान्यता की हकदार हैं।

जैसा कि हम इस प्रकाशन को समाप्त करते हैं, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि भारतीय श्रमिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास था, जो असंख्य व्यक्तियों के समर्पण, त्याग और दृढ़ संकल्प से प्रेरित था, जिन्होंने श्रमिकों के अधिकारों एवं कल्याण के लिए और भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अथक संघर्ष किया। हम उन सभी ज्ञात और अज्ञात श्रमिक नेताओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता और श्रम कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और श्रमिक आंदोलन को आकार देने एवं मजबूत करने तथा स्वतंत्रता के बड़े उद्देश्य में योगदान देने में अपनी भूमिका निभाई। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सक्रियता भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत का अभिन्न अंग बनी हुई है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को नवंबर 2022 में शुरु, और जुलाई 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

2. श्रमिक आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन

उद्देश्य

- उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिक आंदोलन की भूमिका की जाँच करना।
- ऐसे उदाहरणों की पहचान करना जहाँ श्रमिक संघर्षों का व्यापक उपनिवेशवाद–विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में विलय हो गया।
- राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में श्रमिक वर्ग के लोगों के योगदान को उजागर करना।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में कामकाजी लोगों के लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और योगदान को प्रदर्शित करना।

दायरा

यह अध्ययन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामकाजी वर्ग के लोगों पर केंद्रित है। यह श्रमिक आंदोलन और राष्ट्रीय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के बीच घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डालता है। यह दो–तरफा बातचीत हमारे अनुसंधान का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हम ऐसे ठोस उदाहरणों का दस्तावेजीकरण

करते हैं जहाँ श्रमिक संघर्ष बड़े उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्षों में विलीन हो गए। यह अनुसंधान विशिष्ट उदाहरणों की जाँच करके श्रमिक आंदोलन में श्रमिक वर्ग के महत्वपूर्ण योगदान और उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उनके गठबंधन पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है जहाँ बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, काम के घंटे, उचित मजदूरी, उचित व्यवहार और अधिकारों के लिए उनके संघर्ष औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए बड़े संघर्ष के साथ अभिसरित हुए।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के मद्देनजर लोगों में प्रत्याशा और आशावाद का माहौल था। स्वतंत्रता को एक परिवर्तन के रूप में देखा गया, जो उनकी कठिनाइयों के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। यह भावना उन श्रमिकों तक फैली, जो सम्मानजनक जीवन और बेहतर परिस्थितियों की आषा के साथ अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने कामकाजी और रहने की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने के साथ–साथ उनके सामने आने वाले अपमान और असमानताओं को समाप्त करने के अवसर के रूप में देखा।

श्रमिक आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन एक हो गए और इस साझा विश्वास से प्रेरित थे कि स्वतंत्रता उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत अनुभव की गई शोषण ाकारी प्रथाओं और भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने की कोशिश की। बड़े स्वतंत्रता संग्राम के साथ खुद को जोड़कर श्रमिकों ने अपनी शिकायतों को दूर करने और स्वतंत्र भारत में अपना उचित स्थान सुरक्षित करने की आषा की। इसके अलावा, राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिकों की भागीदारी के महत्व को पहचाना। वे समझते थे कि श्रमिकों के संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के समग्र उद्देश्य से अलग नहीं थे। राष्ट्रवादी नेताओं ने श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन, हड़ताल (आम हड़ताल) और बंद का सक्रिय रूप से समर्थन किया क्योंकि उन्होंने परिवर्तन के एजेंट के रूप में श्रमिकों की भूमिका को मान्यता दी थी। उनमें से कुछ ने सीधे तौर पर श्रमिकों को लामबंद किया और कुछ ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक लड़ाई को मजबूत करने के लिए गठबंधन और एकजुटता बनाकर श्रमिक नेताओं का समर्थन किया।

स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिकों की भागीदारी के प्रभाव को किसी भी तरह से नजरअंदाज या कम नहीं किया जा सकता है। उनके लचीलेपन और बलिदान ने संघर्ष की समग्र गति में योगदान दिया और स्वतंत्रता के लिए एकजुट एवं समावेशी आंदोलन की कहानी को आकार देने में मदद की। बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, उचित वेतन और सम्मान की उनकी माँगें राष्ट्र की बड़ी आकांक्षाओं के अनुरूप थीं।

निष्कर्षतः, श्रमिक आंदोलन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ गया क्योंकि श्रमिकों ने स्वतंत्रता को अपने जीवन को बेहतर बनाने और शोषण को समाप्त करने के अवसर के रूप में देखा। राष्ट्रवादियों और श्रमिक नेताओं के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी से उनकी माँगें सामने आईं और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिकों की भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को ताकत और गहराई प्रदान की, जो एक उज्ज्वल भविष्य की चाह रखने वाले राष्ट्र की साझा आकांक्षाओं और सामूहिक भावना का उदाहरण है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को अप्रैल 2023 में शुरु, और अक्तूबर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

3. स्वतंत्रता पूर्व भारत में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण में श्रमिक आंदोलन की भूमिका

उद्देश्य

- भारत के संदर्भ में व्यापक सामाजिक संरक्षण संस्थानों के निर्माण में श्रमिक आंदोलनों के योगदान और भूमिका के इतिहास का दस्तावेज़ीकरण।
- सामाजिक सुरक्षा के संस्थागत (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) तौर–तरीकों की स्थापना की दिशा में श्रमिक समूहों/संगठनों और प्रमुख श्रमिक आंदोलनों द्वारा किए गए असंख्य योगदानों को सामने लाना।

दायरा

ऐतिहासिक संदर्भ और माध्यमिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वतंत्रता–पूर्व काल के दौरान आधुनिक भारत की सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण प्रणालियों को आकार देने में श्रमिक आंदोलन के प्रभाव का पता लगाना।

निष्कर्ष

भारत के स्वतंत्रता–पूर्व काल के ऐतिहासिक परिदृश्य की यात्रा ने आधुनिक भारत की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को आकार देने में श्रमिक आंदोलन की गहन भूमिका पर प्रकाश डाला है। यह व्यापक अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण परियोजना श्रमिक आंदोलन के विभिन्न पहलुओं, इसके विकास, चुनौतियों एवं उपलब्धियों और राष्ट्र के व्यापक सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने पर उनके प्रभाव का पता लगाती है।

इस पूरे अध्ययन में हमने यह पाया कि श्रमिक आंदोलन ने श्रमिकों के अधिकारों, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अग्रणी प्रयासों से संगठित श्रमिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने बड़े कार्यसमय, अपर्याप्त मजदूरी और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों जैसे मुद्दों को संबोधित करने की मांग की। जैसे–जैसे हम बाद के दशकों में आगे बढ़े, आंदोलन परिपक्व हुआ, इसने चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया और अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल के लिए दबाव डालना जारी रखा।

श्रमिक आंदोलन की सक्रियता परिवर्तन को बढ़ावा देने और उन नीतियों को प्रभावित करने में सहायक थी जिनका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करना था। एन. एम. लोखंडे जैसे उल्लेखनीय नेताओं और चंपारण सत्याग्रह एवं मातृत्व लाभ विधेयक पर बॉम्बे विधानसभा की बहस जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद की अवधि नई चुनौतियाँ लेकर आई, फिर भी श्रमिक आंदोलन लचीला बना रहा और उभरती परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों को अपनाता रहा।

निष्कर्षतः, आधुनिक भारत को आकार देने में श्रमिक आंदोलन की भूमिका की हमारी खोज सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए समर्पित वकालत के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करती है। हालाँकि, यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। श्रमिक आंदोलन की विरासत का सम्मान करने और श्रमिक वर्ग के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह जरूरी है कि हम सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में काम करें और उन्हें अत्यंत दक्षता के साथ क्रियान्वित किया जाए। यह प्रतिबद्धता निस्संदेह एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज में योगदान देगी, जहां प्रत्येक श्रमिक के अधिकारों और कल्याण को बरकरार रखा जाएगा और संरक्षित किया जाएगा।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को अप्रैल 2023 में शुरु, और अक्तूबर 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी गंभीर हो जाता है। जलवायु परिवर्तन और कार्य जगत के साथ इसके अंतर–संबंधों से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए वर्ष 2010 में इस केंद्र की स्थापना की गई थी। अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य नीति–उन्मुख अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं आजीविका के साथ इसकी अंतर–संबद्धता पर मामला अध्ययन करना है।

इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अंतर–संबंधों को समझना;
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण;
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन, लिंग पर इसका प्रभाव;
- निर्वाह खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन क्षेत्र में लगे कमजोर श्रमिकों, तटीय मत्स्यपालन/नमक/कृषि समुदायों और स्वदेशी वन आश्रित अनुसूचित जनजातियों की आजीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव;
- आजीविका सुरक्षा के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में नरेगा की भूमिका।

प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के मुख्य क्षेत्र

- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी के नुकसान की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मैक्रो नीतियों को फिर से उन्मुख करने में नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों की भूमिका;
- जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से आजीविका पर इसके संभावित प्रभाव और विभिन्न अनुकूलन और शमन रणनीतियों के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम;
- कौशल, प्रौद्योगिकी और कार्य के भविष्य, हरित कार्य, उद्यमिता पर क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।

जारी मामला अध्ययन

कार्य और कौशल प्रभावः महिला श्रमिकों से संबंधित मामलों के विश्लेषण पर मामला अध्ययन

(परियोजना निदेशकः पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो)

कार्यशालाएँ/वेबिनार

➢ कार्य की दुनिया में परिवर्तन पर अभिमुखीकरण कार्यशाला

संस्थान ने 04 मई 2024 को सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों के लिए कार्य की दुनिया में परिवर्तन पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला सह अध्ययन यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को कार्य की गतिशीलता, तकनीकी विकास एवं उसके प्रभाव को और श्रम संहिताओं के संदर्भ में

नीति/विधायी पहलों से परिचित कराना था। लिंग के संदर्भ में सामाजिक संरक्षण, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नीति/विधायी पहल पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी। पैनलिस्टों में संस्थान से डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो एवं डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो शामिल थे और पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा संचालित इस कार्यशाला में डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो मुख्य पैनलिस्ट थे। वीवीजीएनएलआई, नौएडा में आयोजित इस कार्यशाला में प्रोफेसर मनोज कुमार जेना के साथ 22 मास्टर डिग्री और पीएचडी छात्रों ने भाग लिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों से बातचीत की और समापन भाषण दिया। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई पाठ्यक्रम निदेशक थे।

➢ आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दों पर एक–दिवसीय कार्यशाला

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 10 जनवरी 2024 को संस्थान में 'आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित पद्धति' (राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी – एनएसएसटीए) के आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए लैंगिक और श्रमिक मुद्दों पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बांग्लादेश, बोत्सवाना, बुरुंडी, कोटे डी आइवर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, म्यांमार और नाइजर जैसे विभिन्न देशों के 14 अधिकारियों ने डॉ. जे. एस. तोमर, निदेशक, एनएसएसटीए के साथ दौरा किया। इस कार्यशाला का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

अध्ययन दौरा

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 03 अप्रैल 2023 को नीति आयोग, भारत सरकार के नरेला, दिल्ली स्थित एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान – एनआईएलईआरडी (पूर्व में अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान) द्वारा आयोजित 'सार्वजनिक नीति और शासन' पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए एक एक्सपोजर–सह–अध्ययन दौरा की मेजबानी की। यह अध्ययन दौरा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की आईटीईसी परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया। 29 देशों नामतः एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, घाना, गिनी, केन्या, लाओस, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, पेरू, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, सीरिया, तंजानिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, युगांडा, वियतनाम के सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता; इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। एनआईएलईआरडी की ओर से डॉ. रूबी धर, उप निदेशक प्रतिनिधिमंडल के साथ थीं। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने इस अध्ययन दौरे का समन्वय किया और रोजगार, रोजगारपरकता और कौशल विकासः नीति और कार्यक्रम पहल पर आधे दिन का सत्र लिया।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने पिछले कई वर्षों से समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ); संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ); विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ); संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी); जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी); कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई); अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम); श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान; यूएन वीमेन; आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी; सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन, आदि जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दुनिया में लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता, श्रम इतिहास, उत्कृष्ट श्रम, कार्य का भविष्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 109 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 135 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2474 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। वर्ष 2023–24 के दौरान आईटीईसी के तहत 05 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 29 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 136 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी–आईएलओ) द्वारा 27 अगस्त से 01 सितंबर 2023 तक **महिला उद्यमिता** पर एक गेट–अहेड टीओटी आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में संस्थान की संकाय सदस्य डॉ. धन्या एम. बी., फेलो ने भाग लिया।
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन के सहयोग से 04 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक हाइब्रिड मोड के माध्यम से **श्रम संबंध और सामाजिक संवाद** पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन के प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए ऑनलाइन मॉड्यूल और वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए ऑफलाइन मॉड्यूल (6 से 10 नवंबर) शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम में केंद्रीय श्रम सेवा, नियोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों के 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा ब्रिक्स देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित **श्रम अनुसंधान**

संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क का भी एक सहभागी है। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य संस्थान हैं: नेशनल लेबर मार्केट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ रशियन फेडरेशन, रूस; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन; और यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवक के तहत संस्थान ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं:

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं

1. 'ब्रिक्स देशों में ई–औपचारिकता प्रथाओं' पर अनुसंधान अध्ययन (श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क 2022 के लिए)

ब्रिक्स अनुसंधान नेटवर्क के तहत 'ई–प्लेटफॉर्म रोजगार: श्रम बाजार में भूमिका और प्लेटफॉर्म श्रमिक श्रम विनियमन की समस्याएं' (2024) पर ब्रिक्स भारत के नेतृत्व में अध्ययन किया जा रहा है। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों के सदस्य संस्थानों के अलावा, नेटवर्क को ILO द्वारा प्रदान की गई तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से भी समर्थन प्राप्त है। श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य समसामयिक नीतिगत मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन करना है ताकि इन अध्ययनों के इनपुट का उपयोग नीति निर्माण के साथ–साथ ब्रिक्स श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों के विचार–विमर्श के दौरान किया जा सके। तदनुसार, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने अनुसंधान अध्ययनों के विभिन्न दौर शुरू किए हैं।

उद्देश्य

- ब्रिक्स देशों में विभिन्न नीति क्षेत्रों में लागू की गई विभिन्न प्रकार की ई–औपचारिकरण प्रथाओं (श्रमिकों और उद्यमों के लिए अलग–अलग) का अध्ययन करना, उनके संस्थागत समर्थन की पहचान करना और उनके दायरे एवं उद्देश्यों का दस्तावेजीकरण करना;
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से औपचारिकता में सहायता करने वाली प्रथाओं की पहचान करें और प्रासंगिक सरकारी वेबसाइटों/दस्तावेजों की समीक्षा करके संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा करके उनके परिणामों और उपलब्ध प्रभाव मूल्यांकन साहित्य का दस्तावेजीकरण करना;
- इस पर चर्चा करना कि किस हद तक और किस नीतिगत क्षेत्र में ई–औपचारिकरण प्रथाओं ने सरकार की चल रही औपचारिकरण रणनीति के कार्यान्वयन के समर्थन में नीति और संस्थागत एकीकरण और अंतर–मंत्रालयी समन्वय को सक्षम किया है;
- उन पूर्व–शर्तों पर चर्चा करना जिनके कारण ई–औपचारिकरण प्रथाओं को सफलतापूर्वक अपनाया गया;
- चुनौतियों, बाधाओं, सीखे गए सबक और सफल प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना, जिनका आगे विस्तार करने तथा अन्य सदस्य देशों को हस्तांतरित करने पर प्रभाव हो; और
- इस पर चर्चा करना कि कैसे कोविड–19 ने संकट के प्रभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज, कल्याणकारी हितलाभ और अन्य उपायों को स्थानांतरित करने के संदर्भ में ई–औपचारिकरण प्रथाओं के उपयोग को तेज कर दिया है।

परिणाम

अनुसंधान में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है जहाँ अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

से लागू किया गया है। पहले चरण में देश स्तर पर प्रासंगिक ई–औपचारिकरण प्रथाओं की विस्तृत खोज की गई है। दूसरे चरण में, दस्तावेज़ीकरण के लिए नीतिगत क्षेत्रों (जैसे प्रोत्साहन या अनुपालन आदि) में सबसे अधिक प्रासंगिक प्रथाओं की पहचान की जा सकती है। संकट के प्रभाव को कम करने के लिए पोर्टफोलियो में जोड़ी गई ई–औपचारिकरण पहलों का अलग से अध्ययन किया जा सकता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जून 2023 में शुरू, और फरवरी 2024 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम. बी., फेलो)

2. श्रम अनुसंधान संस्थान का ब्रिक्स नेटवर्क 2023 के लिए अनुसंधान अध्ययन

(अ) सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

उद्देश्य

कोविड–19 महामारी से हाल ही में आए झटके ने दुनिया को यह याद दिलाने के लिए चेतावनी का काम किया है कि झटके लगने की संभावना है, तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धावस्था, शहरीकरण, प्रवास और जलवायु परिवर्तन के परिणामों से रोजगार और सामाजिक सुरक्षा नीतियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए इस अध्ययन का उद्देश्य ब्रिक्स में देशों की स्थितियों का आकलन करना है ताकि उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पहचाने गए अंतराल को कम किया जा सके।

अध्ययन ने इस पर ध्यान केंद्रित कियाः

- बेरोजगारी, रोजगारजनित चोट, विकलांगता, बीमारी या मातृत्व की स्थिति में, साथ ही कमाई अपर्याप्त होने पर आय सुरक्षा।
- सुरक्षा घाटे का निर्धारण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शामिल श्रमिकों के लिए कवरेज के प्रकारों का विश्लेषण।
- अनौपचारिक और डिजिटल श्रमिकों जैसे कमजोर श्रमिकों के लिए कवरेज का विश्लेषण।
- अंतर को पाटते हुए उन श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने की रणनीतियाँ बनाना जिन्हें अभी भी 'कवरेज प्राप्त नहीं है।
- श्रम बल सर्वेक्षण (एलएफएस) सहित श्रम बाजार डेटा का विश्लेषण करके अनौपचारिक और डिजिटल श्रमिकों जैसे कमजोर श्रमिकों के लिए कवरेज का विश्लेषण।
- अधिकांश कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में होने के साथ, अध्ययन ने औपचारिकता में संक्रमण को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विकास के लिए विभिन्न हालिया सरकारी पहलों/रणनीतियों पर प्रकाश डाला।
- अध्ययन ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीति सुधारों का प्रस्ताव दिया।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जुलाई 2023 में शुरू, और मार्च 2024 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. रूमा घोष., सीनियर फेलो)

ख) ब्रिक्स देशों के लिए लिंग और सामाजिक सुरक्षा

अध्ययन का उद्देश्य रोजगार के मामले में ब्रिक्स में देश की स्थिति का आकलन करना, सामाजिक संरक्षण तक श्रमिकों की पहुँच में चुनौतियों की पहचान करना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतराल को दूर करना था। यह अध्ययन ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी 2023 के लिए श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तहत आयोजित किया गया था।

उद्देश्य

- बेरोजगारी, रोजगारजनित चोट, विकलांगता, बीमारी और मातृत्व और अल्परोजगार की स्थिति में आय सुरक्षा को समझना।
- सुरक्षा घाटे का निर्धारण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शामिल श्रमिकों के लिए कवरेज के प्रकारों का विश्लेषण करना।
- विभिन्न प्रकार के रोजगारों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को निम्न के द्वारा समझनाः
  - ✓ रोजगार की स्थिति– अंशकालिक बनाम पूर्णकालिक, अस्थायी बनाम स्थायी अनुबंध।
  - ✓ क्षेत्र और व्यवसाय, ताकि मौजूदा अंतराल और बाधाओं की पहचान की जा सके और नीति निर्माण के लिए ज्ञान के आधार को बढ़ाया जा सके।
  - ✓ औपचारिक बनाम अनौपचारिक और डिजिटल श्रमिकों जैसे कमजोर श्रमिकों के लिए कवरेज का विश्लेषण करना।
- लिंग और आजीविका का विश्लेषण करते हुए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में लैंगिक अंतर को समझना। उन श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने की रणनीतियाँ बनाना जिन्हें अभी भी 'कवरेज प्राप्त नहीं है।
  - ✓ वर्तमान रणनीतियाँ
  - ✓ क्या किया जाना चाहिए (सभी के लिए कम से कम एक बुनियादी स्तर की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा की ओर बढ़ना।)
- ब्रिक्स में देश की स्थितियों का आकलन करना, ताकि उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पहचाने गए अंतराल को कम किया जा सके।
- सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को साकार करने में ब्रिक्स के भीतर प्रमुख सफलताओं पर चर्चा करना।
- सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को साकार करने में ब्रिक्स के भीतर प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करना।
- बेरोजगारी, रोजगारजनित चोट, विकलांगता, बीमारी और मातृत्व और अल्परोजगार की स्थिति में आय सुरक्षा पर श्रम बाजार डेटा का विश्लेषण करना।

परिणाम

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच के साथ उन्हें स्थिर, औपचारिक रोजगार हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें विभिन्न सरकारों, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा क्रियान्वित प्रभावी रणनीतियों और आशाजनक प्रथाओं पर जोर दिया गया है, जिन्होंने महिला श्रमिकों को

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम किया है, जिसमें भारत में ई–श्रम जैसी अच्छी प्रथाएं और सामाजिक सुरक्षा के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण को एकीकृत करने वाले अन्य उपाय शामिल हैं। अध्ययन श्रम बाजार, खासकर औपचारिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक सुरक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करने, लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देने और सुरक्षित, अधिक समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के दायरे का विस्तार करना आवश्यक है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 91 जून 2023 को शुरू, और 25 सितम्बर 2023 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैः अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

अनुसंधान

अनुसंधान एनआरसीसीएल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और अनुसंधान अध्ययनों में निवारक उपाय विकसित करने के उद्देश्य से कामकाजी बच्चों के परिमाण, आयाम और बच्चों के श्रम शोषण के निर्धारक जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में तस्करी किए गए बच्चों एवं प्रवासी बाल श्रमिकों की कमजोरियों एवं असुरक्षिताओं पर फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, नीतिगत एवं विधायी रूपरेखा और उनके प्रवर्तन की स्थिति, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, रहने और काम करने की स्थिति, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि का मूल्यांकन भी किया जाता हैं। एनआरसीसीएल ने माइक्रो, मेसो और मैक्रो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर अनेक अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन पूरे किए हैं।

अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः

1. चुनिंदा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।
2. बाल श्रम के वैचारिक और निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने और बाल श्रम के जारी रहने के लिए जिम्मेदार कारकों के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।

3. प्रतिकृति के लिए सफल अनुभवों का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को प्रासंगिक बनाना।
4. श्रमिक शोषण में बच्चों के मुद्दे पर प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन एवं मूल्यांकन अध्ययन।
5. बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, पुनःएकीकरण, एकीकरण के बाद तथा ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कार्यनीतियाँ विकसित करना।

प्रशिक्षण और शिक्षा (2023–24)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एकीकृत तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से लगातार प्राप्त फीडबैक का प्रयोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के साथ–साथ प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के लिए किया जाता है।

संस्थान के शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के संभावित साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान की वृद्धि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2023–24 के दौरान संस्थान ने 152 ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 3464 कार्मिकों ने भाग लिया।

इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहल की हैं:

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा आईटीसी–आईएलओ के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किए जाते हैं। ये कार्यक्रम गिग और प्लेटफॉर्म; पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी विषयक उनकी भूमिका के संबंध में; पेंशन योजनाओं; पूर्व शिक्षण की पहचान; सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नई मानव संसाधन प्रथाओं और प्रवासन एवं विकास–आंतरिक प्रवास

पर फोकस के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। ऐसे 04 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 79 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक भूमिका, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 09 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 134 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 19 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 289 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के श्रमिकों और संगठनकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 63 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1182 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि

शामिल हैं। ऐसे 07 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 239 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और संरक्षण, नेतृत्व कौशल में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कार्य का भविष्य – डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट श्रम की ओर और कार्य संस्कृति में सुधार के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। ऐसे कुल 05 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें कुल 136 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपर्युक्त विषयों पर 08 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 206 कार्मिकों ने भाग लिया।

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ–साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा 01 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने राज्य श्रम संस्थानों तथा समान उद्देश्य वाले संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके। इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए संस्थान, मैनेज, हैदराबाद; एसएलआई ओडिशा; अम्बेडकर विश्वविद्यालय; और लोयला कॉलेज, चेन्नई के सहयोग से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 06 ऑनलाइन कार्यक्रमों और 01 ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें 406 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंतरिक कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने छत्तीसगढ़ के श्रम निरीक्षकों, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के श्रम निरीक्षकों एवं एएलसी, ईएसआईसी के उप निदेशकों/इंजीनियरों, डीजीएमएस अधिकारियों, नौसेना, एचपीसीएल, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) और डीजी फासली के अधिकारियों के लिए कुल मिलाकर 21 आंतरिक ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में कुल 576 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

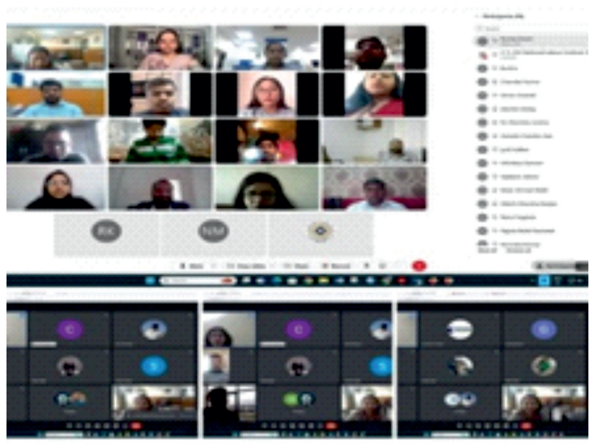

विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विषय आधारित हैं जैसे; शोध कैसे करें, डीआईएसएच के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, कार्यालय प्रक्रिया, टिप्पण और प्रारूपण, अदालती मामलों में हलफनामे और जवाबी हलफनामे तैयार करना, आरटीआई प्रश्नों का उत्तर कैसे तैयार करें, लोक शिकायतों का समाधान, सोशल मीडिया प्रबंधन, बातचीत कौशल में सुधार, अर्ध–न्यायिक अधिकारियों की भूमिका और कार्य तथा प्रशिक्षण का मूल्यांकन। कुल 09 ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम और एक ऑफ़लाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिनमें 201 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ऑनलाइन /ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (01.04.2023 – 31.03.2024)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी)					
1.	असुरक्षित श्रमिकों की सुरक्षा को व्यापक बनाने के लिए अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार और श्रम विभाग, दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के लिए	01	04	11	डॉ. रूमा घोष
2.	स्टार्टअप विनियमन और कल्याणकारी योजनाएं (ऑनलाइन)	01	03	28	डॉ. धन्या एम. बी.
3.	श्रम संबंध और सामाजिक संवाद में लघु अवधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, आईटीसी–आईएलओ के साथ (ऑनलाइन और ऑफलाइन)	01	38	20	डॉ. संजय उपाध्याय
4.	विभिन्न श्रमिक मुद्दों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास (ऑनलाइन)	01	01	20	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
	उप–योग	**04**	**46**	**79**	
श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)					
5.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी: भूमिका एवं कार्य	01	03	15	डॉ. संजय उपाध्याय
6.	नई श्रम संहिताओं एवं नियमों को समझना	01	05	06	डॉ. संजय उपाध्याय
7.	कार्य का भविष्य – डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट श्रम और सुरक्षा सुनिश्चित करना	01	03	18	डॉ. रूमा घोष
8.	सुलह को प्रभावी बनाना	01	03	12	डॉ. संजय उपाध्याय
9.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	01	02	20	डॉ. रूमा घोष
10.	रोजगार और मजूदरी: मजदूरी संहिता के विशेष संदर्भ में	02	06	40	डॉ. धन्या एम. बी.
11.	प्रवासन और विकास: मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य	01	03	14	डॉ. धन्या एम. बी.
12.	श्रम संहिताओं और कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारियों के लिए	01	03	09	डॉ. शशि बाला
	उप–योग	**09**	**28**	**134**	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)					
13.	भारत में श्रम संहिताएं	01	05	06	डॉ. एलीना सामंतराय
14.	श्रम संहिताएं और नियम, पीएसयू के लिए	01	05	15	डॉ. संजय उपाध्याय
15.	कार्य दक्षता बढ़ाना	01	05	14	डॉ. शशि बाला
16.	मौजूदा श्रम कानूनों के तहत विनियामक अनुपालन, नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए (ऑनलाइन)	01	03	13	डॉ. संजय उपाध्याय
17.	प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहार कौशल	02	10	22	डॉ. शशि बाला
18.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना	01	05	10	डॉ. शशि बाला
19.	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	02	10	78	डॉ. संजय उपाध्याय
20.	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में चलाई जा रही नई मानव संसाधन प्रथाएं	01	04	06	डॉ. शशि बाला
21.	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020	01	05	06	डॉ. एलीना सामंतराय
22.	श्रम कानून एवं श्रम संहिताएं, विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के लिए	01	05	18	डॉ. संजय उपाध्याय
23.	कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	03	01	डॉ. रूमा घोष
24.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	01	03	34	डॉ. धन्या एम. बी.
25.	श्रमिकों का आत्म–विकास	01	05	21	डॉ. शशि बाला
26.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण	01	05	10	डॉ. शशि बाला
27.	महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	01	03	10	डॉ. शशि बाला
28.	महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से संबंधित कानून	01	05	12	डॉ. शशि बाला
29.	श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	01	03	10	डॉ. संजय उपाध्याय
	उप–योग	**19**	**83**	**286**	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)					
30.	लैंगिक संवेदनशील वातावरण सुगम बनानाः एक व्यवहारिक दृष्टिकोण	02	10	56	डॉ. शशि बाला
31.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम, तेलंगाना राज्य के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए	02	08	43	डॉ. एम. एम. रहमान
32.	नई श्रम संहिताएंः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य	02	08	37	डॉ. संजय उपाध्याय
33.	लैंगिक और श्रमिक मुद्दे	01	05	29	डॉ. एलीना सामंतराय
34.	निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	01	04	26	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
35.	घरेलू कामगारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	01	04	13	डॉ. शशि बाला
36.	जीईएम और आरक्षण रोस्टर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के लिए	01	01	25	डॉ. संजय उपाध्याय
37.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियाँ विकसित करना	02	10	29	डॉ. शशि बाला
38.	करियर विकास में क्षमता निर्माण कार्यक्रम	01	05	13	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
39.	असुरक्षित मैनुअल श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	02	10	32	डॉ. मनोज जाटव
40.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	01	05	25	डॉ. एम. एम. रहमान
41.	श्रमिक शिक्षकों/संगठनों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	04	20	डॉ. एम. एम. रहमान
42.	श्रम संहिताओं और नियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, श्रम अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए (ऑनलाइन)	01	03	18	डॉ. शशि बाला
43.	कल्याणकारी और विकास उपायों की प्रभावशीलता के लिए स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	01	05	16	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
44.	संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजनाएँ	02	06	36	डॉ. रूमा घोष

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
45.	श्रमिक संगठनों/गतिविधियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	01	05	27	डॉ. मनोज जाटव
46.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षाः अनूठी प्रथाएँ	01	03	18	डॉ. मनोज जाटव
47.	नोटिंग, ड्राफ्टिंग और मेडिकल अटेंडेंस नियम, वीवीजीएनएलआई कर्मचारियों के लिए	01	01	18	डॉ. मनोज जाटव
48.	कल्याणकारी और विकास उपायों की प्रभावशीलता के लिए सुशासन	01	05	29	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
49.	सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार सूचना	01	05	16	डॉ. धन्या एम. बी.
50.	श्रमिक विकास और वैश्वीकरण पर अभिविन्यास कार्यक्रम	01	04	14	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
51.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने की क्षमता बढ़ाना	02	06	39	डॉ. शशि बाला
52.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	01	03	21	डॉ. शशि बाला
53.	श्रम सप्ताह पोषण पंचायतः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम	04	15	67	डॉ. शशि बाला
54.	कौशल परिवर्तन और कार्य के भविष्य पर अभिविन्यास कार्यक्रम	01	05	24	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
55.	हेड–लोड/पल्लेदारों और अन्य असुरक्षित श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	01	05	27	डॉ. मनोज जाटव
56.	रोजगार और उद्यमिता के लिए महिलाओं का कौशल विकास	02	10	34	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
57.	भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की दिशा में हालिया पहल	01	05	26	डॉ. संजय उपाध्याय
58.	जेंडर एवं उद्यमिता	04	20	61	डॉ. धन्या एम. बी.
59.	कार्य कुशलता एवं प्रभावी वितरण को बढ़ाना	01	05	06	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
60.	श्रम बल डेटा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	01	03	18	डॉ. एलीना सामंतराय
61.	भारत में लिंग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और श्रम संहिताओं पर उभरते परिप्रेक्ष्य	01	04	10	डॉ. एलीना सामंतराय

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
62.	श्रम और विकास के मुद्दों के समाधान के लिए अभिसरण और साझेदारी	01	03	24	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
63.	बीड़ी श्रमिकों के सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	03	14	डॉ. शशि बाला
64.	निर्माण श्रमिकों के लिए नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम	02	06	23	डॉ. शशि बाला श्री नागेश नितला
65.	सामाजिक सुरक्षा के विशेष संदर्भ में असंगठित श्रमिकों/संगठनों के लिए नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम	04	15	61	श्री नागेश नितला
66.	युवा रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल विकास	01	05	27	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
67.	नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीएमएस)	02	08	62	डॉ. संजय उपाध्याय
68.	सामाजिक सुरक्षा और श्रम संहिता पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	06	30	श्री नागेश नितला
69.	टिप्पण एवं प्रारूपण, छुट्टी एवं आचरण नियमावली तथा एलटीसी नियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	02	16	डॉ. मनोज जाटव
70.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	03	20	डॉ. शशि बाला
71.	सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा – उत्कृष्ट श्रम और सुरक्षा सुनिश्चित करना	01	03	20	डॉ. रूमा घोष
72.	कार्यालय प्रक्रिया, टिप्पण और प्रारूपण	01	02	15	डॉ. शशि बाला
	उप–योग	**63**	**246**	**1182**	
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)					
73.	श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण	01	19	29	डॉ. रूमा घोष
74.	नेतृत्व कौशल को बढ़ाना	01	18	28	डॉ. शशि बाला
75.	अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना	01	19	27	डॉ. एलीना सामंतराय
76.	कार्य का भविष्य – डिजिटल गिग अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट श्रम की ओर	01	19	23	डॉ. रूमा घोष
77.	कार्य संस्कृति में सुधार के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना	01	19	29	डॉ. शशि बाला
	उप–योग	**05**	**94**	**136**	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)					
78.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम (सामाजिक विज्ञान में शोधार्थियों और विश्वविद्यालयी युवा शिक्षकों के लिए) (ऑनलाइन)	01	05	19	डॉ. रूमा घोष
	उप–योग	**01**	**05**	**19**	
बाल श्रम और बंधुआ श्रम कार्यक्रम (सीएलबीएलपी)					
79.	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	04	17	166	डॉ. मनोज जाटव
80.	कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करने और बचाये गये बाल श्रमिकों/बंधुआ मजदूरों/तस्करी वाले मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम (ऑनलाइन)	02	08	59	डॉ. मनोज जाटव
81.	उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम	01	04	14	डॉ. मनोज जाटव
	उप–योग	**07**	**29**	**239**	
उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए कार्यक्रम (एनईपी)					
82.	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व	01	05	37	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
83.	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	01	05	27	डॉ. एलीना सामंतराय
84.	श्रम संहिताओं और नियमों को समझना	01	05	20	डॉ. संजय उपाध्याय
85.	असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	01	05	13	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
86.	श्रम में लैंगिक मुद्देः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	01	05	27	डॉ. शशि बाला
87.	श्रम संहिताएंः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य	01	05	18	डॉ. संजय उपाध्याय
88.	रोजगार और उद्यमिता के लिए महिलाओं का कौशल विकास	01	05	28	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
89.	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	01	05	36	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
	उप–योग	**08**	**40**	**206**	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)					
90.	श्रमिकों के लिए कल्याणकारी और विकास उपायों की प्रभावशीलता के लिए सुशासन (एसएलआई ओडिशा)	01	03	28	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
91.	श्रम बाजार विश्लेषण पर अनुसंधान पद्धतियां, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से	01	03	27	डॉ. धन्या एम. बी.
92.	कृषि श्रमिकों के लिए श्रम संहिताओं पर कार्यक्रम (मैनेज) (ऑनलाइन)	01	03	59	डॉ. शशि बाला
93.	भारत में श्रम सुधार और संगठित श्रमिकों के भविष्य पर इनका प्रभाव तथा सामाजिक सुरक्षा उपाय (लोयोला कॉलेज) (ऑनलाइन)	03	06	292	डॉ. शशि बाला
	उप–योग	**06**	**15**	**406**	
आंतरिक कार्यक्रम (आईएचपी)					
94.	एचपीसीएल के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	06	32	डॉ. एलीना सामंतराय
95.	छत्तीसगढ़ के श्रम निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	02	19	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
96.	ईएसआईसी के उप निदेशकों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण	04	65	117	डॉ. संजय उपाध्याय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम डॉ. मनोज जाटव
97.	डीजीएमएस के अधिकारियों के लिए स्थापना, लेखा और प्रशासन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण	02	24	55	डॉ. शशि बाला
98.	ईएसआईसी के उप निदेशकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण	01	16	27	डॉ. मनोज जाटव
99.	लैंगिक संवेदीकरण और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेघ और प्रतितोष) अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	02	33	डॉ. शशि बाला
100.	सिविलियन कार्मिकों के प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (नौ सेना)	01	05	31	डॉ. शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
101.	ईएसआईसी में अवर अभियंता (इलैक्ट्रिकल) से सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	16	30	डॉ. शशि बाला
102.	स्थापना नियम, डीपीसी, रोस्टर के निर्माण एवं अनुरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	05	29	डॉ. शशि बाला
103.	हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	01	02	29	डॉ. एलीना सामंतराय
104.	अवर अभियंता की पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसआईसी)	01	16	31	डॉ. शशि बाला
105.	वेतन नियतन और पेंशन हितलाभ (भारतीय नौ सेना)	01	05	24	डॉ. शशि बाला
106.	सॉफ्ट स्किल्स (डीजीएमएस एवं डीजी फासली)	02	10	36	डॉ. रूमा घोष डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
107.	अनुशासनिक कार्यवाही (भारतीय नौ सेना)	01	05	29	डॉ. शशि बाला
108.	प्रशासनिक सतर्कता (भारतीय नौ सेना)	01	05	29	डॉ. शशि बाला
109.	प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियमित आधार पर उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए उप निदेशकों (तदर्थ)/ सहायक निदेशकों /प्रबंधक ग्रेड – I/ अनुभाग अधिकारियों के लिए अनिवार्य स्तर 'क' प्रशिक्षण	01	19	26	डॉ. मनोज जाटव
	उप–योग	**21**	**204**	**576**	
विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी)					
110.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन)	01	02	25	डॉ. रूमा घोष
111.	'अनुसंधान कैसे करें' (ऑनलाइन)	01	02	37	डॉ. धन्या एम. बी.
112.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी: भूमिका एवं कार्य	01	02	15	डॉ. संजय उपाध्याय
113.	विवाद समाधान के लिए प्रभावी सुलह	01	02	12	डॉ. मनोज जाटव
114.	'विभागीय जांच कैसे करें' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	02	21	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
115.	सोशल मीडिया प्रबंधन	01	02	25	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
116.	प्रशिक्षण का मूल्यांकन (ऑनलाइन)	01	02	06	डॉ. धन्या एम. बी.
117.	बातचीत कौशल में सुधार	01	02	33	डॉ. शशि बाला
118.	प्रस्तुति कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	01	02	27	डॉ. एलीना सामंतराय
	उप–योग	**09**	**20**	**201**	
	कुल योग	**152**	**810**	**3464**	

कार्यशालाओं/वेबिनार की सूची 2023–24

क्रम सं.	कार्यशाला/वेबिनार	दिनों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वयक
1.	भारत में रोजगार की गतिशीलता और चुनौतियां: वर्तमान और भविष्य पर कार्यशाला 20 अप्रैल 2023	01	40	डॉ. धन्या एम. बी
2.	कार्य की दुनिया में परिवर्तन पर अभिमुखीकरण कार्यशाला सह अध्ययन यात्रा (सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्रों के लिए), 04 मई 2023	01	20	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
3.	मई दिवस और श्रम अधिकारों पर कार्यशाला 01 मई 2023	01	25	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
4.	45वें बैच के आईएसएस अधिकारियों के लिए श्रम एवं रोजगार मुद्दों पर एक दिवसीय कार्यशाला, 12 मई 2023	01	27	डॉ. एलीना सामंतराय
5.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ब्यूरो प्रमुखों की गतिविधियों का अभिसरण, 16–17 मई 2023	02	100	...
6.	विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यशाला 12 जून 2023	01	49	डॉ. मनोज जाटव
7.	नियोक्ता संगठनों के लिए गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों पर विचार–मंथन कार्यशाला 07 अगस्त 2023	01	50	डॉ. एलीना सामंतराय
8.	कामगार संगठनों के लिए गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर ऑनलाइन विचार–मंथन कार्यशाला, 14 अगस्त 2023	01	70	डॉ. धन्या एम. बी
9.	श्रम संबंधों, श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं पर अभिमुखीकरण कार्यशाला, 23 अक्तूबर 2023	01	20	डॉ. संजय उपाध्याय
10.	'आरटीआई प्रश्नों का उत्तर कैसे तैयार करें' पर एक दिवसीय विषयगत कार्यशाला 10 दिसम्बर 2023	01	48	डॉ. एलीना सामंतराय
11.	आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण, 10 जनवरी 2024	01	20	श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
12.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर कार्यशाला, 14 फरवरी 2024	01	70	डॉ. शशि बाला
13.	सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक रूपरेखा की ओर' विशय पर कार्यशाला, 'श्रीलंकाई प्रतिनिधियों' के लिए अध्ययन यात्रा के एक भाग के रूप में, 13–15 मार्च 2024	03	08	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यशाला/वेबिनार	दिनों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वयक
14.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 08 मार्च 2024	01	70	डॉ. एलीना सामंतराय श्री बी. एस. रावत
15.	'वर्क फ्रॉम होमः लचीले कार्यसमय की रूपरेखा' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, 15 मार्च 2024	01	20	डॉ. शशि बाला
16.	'भारत में श्रम कानून सुधार और नए श्रम संहिताएंः मुद्दे और चुनौतियाँ' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 20 मार्च 2024	01	25	डॉ. संजय उपाध्याय डॉ. एलीना सामंतराय

ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (अप्रैल 2023 – मार्च 2024)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की सं.	सहभागियों की संख्या
1.	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी)	04	46	79
2.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	09	28	134
3.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	19	83	286
4.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	63	246	1182
5.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	01	05	19
6.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईटीपी)	05	94	136
7.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलबीपी)	07	29	239
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	08	40	206
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीटीपी)	06	15	406
10.	आंतरिक कार्यक्रम (आईएचटीपी)	21	204	576
11.	विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी)	09	20	201
	जोड़	**152**	**810**	**3464**

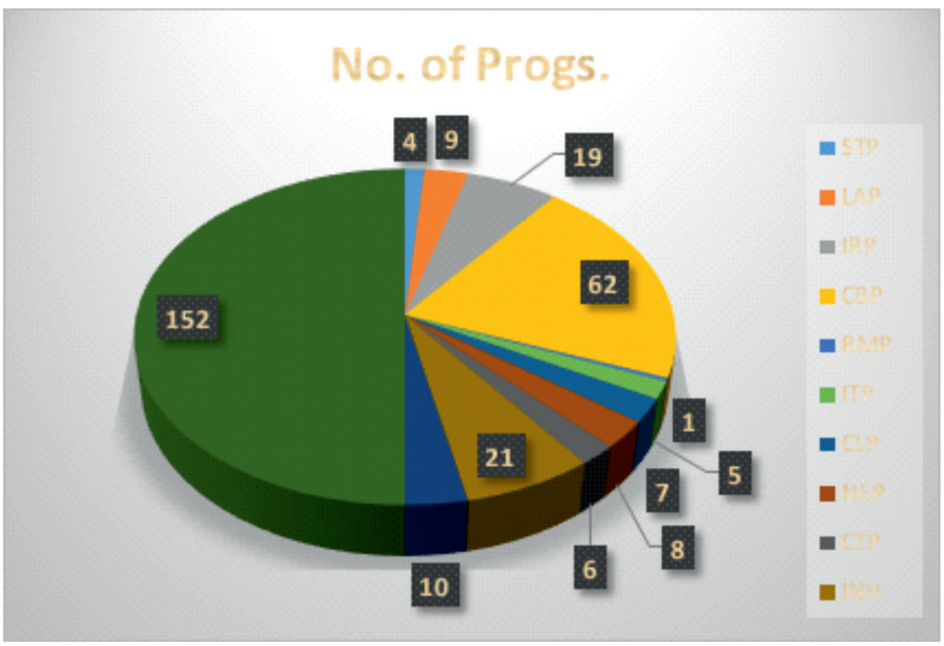

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई)

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यंत विख्यात पुस्तकालय.सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर.डे. की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे. श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है।

1. भौतिक सम्पदा

पुस्तकें: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान पुस्तकालय में 24 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं/सीडी/एवी/वीसी खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं/स्लाइड्स/एवी/वीसी/सीडी/फोटोग्राफ/पोस्टर/बैनर/क्लिपिंग/पैनल आदि की संख्या **65,683** तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान पुस्तकालय ने नियमित रूप से **108** व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और समाचार पत्रों का मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूपों में अभिदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनात्मक प्रसार (एसडीआई); वर्तमान जागरूकता सेवा; ग्रंथ विज्ञान सेवा; ऑनलाइन खोज; पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण; समाचार पत्र कतरन सेवा; माइक्रो–फिच सर्च और मुद्रण; रेप्रोग्राफिक सेवा; सीडी–रोम सर्च; दृश्य–श्रव्य सेवा; वर्तमान विषय.वस्तु सेवा; आर्टिकल अलर्ट सेवा; लेंडिंग सेवा; और अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवा।

2. उत्पाद

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंतरूसंस्थान प्रकाशन, जो 120 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंतरूसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट: साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें अभिदत्त पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय.वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा – यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर क्लिपिंग सर्विस – श्रम और संबद्ध विशयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचारों की स्कैन कॉपी की एक साप्ताहिक सेवा।

3. विशिष्टीकृत संसाधन केंद्र का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन (2023-24)

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

राजभषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 28.06.2023, 27.09.2023, 27.12.2023 और 22.03.2024 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिंदी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 31.05. 2023, 25.08.2023, 16.10.20223 और 01.03.2024 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2023, 30 जून 2023, 30 सितम्बर 2023 और 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा

संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 14 – 29 सितम्बर 2023 के दौरान आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली, हिंदी काव्य पाठ, त्वरित भाषण, और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। पुरस्कार वितरण समारोह संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद की अध्यक्षता में 20.102023 को आयोजित किया।

स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' पर कार्यशाला

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में 21 दिसंबर 2023 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा, नराकास (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/ प्रभारियों/ हिंदी विभाग या अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा – 'आज के तकनीकी युग में हमें समय के साथ चलना चाहिए और राजभाषा के प्रचार–प्रसार में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।' कार्यशाला में सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए मास्टर ट्रेनर श्री ललित भूषण ने 'कंठस्थ' की बारीकियों को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई द्वारा संचालित इस कार्यशाला में नराकास (कार्यालय), नोएडा के 17 सदस्य कार्यालयों के 28 कार्मिकों ने भाग लिया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें संगठन के विवरण, उसके कार्य और कर्तव्य, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम आदि से संबंधित सूचना का सार्वजनिक डोमेन में प्रसार शामिल है। 01.04.2023 से 31.03.2024 तक संस्थान में प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई मामलों की समग्र स्थिति इस प्रकार है:

i)	वर्ष की शुरुआत यानी 01.04.2023 को लंबित मामलों की संख्या :	शून्य
ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्याः	37
iii)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्याः	36
iv)	31.03.2024 को लंबित मामलों की संख्याः	01

अनुशासनात्मक कार्यवाही

- कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है।

  कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाईः

i)	छोटी शास्ति और बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए लंबित हैः	शून्य
ii)	छोटी शास्ति और बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गयाः	शून्य

आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

⇨ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 20 दिसंबर 2023 को ***'आरटीआई प्रश्नों का उत्तर कैसे तैयार करें'*** विषय पर एक एक–दिवसीय ऑनलाइन विषयगत कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य आरटीआई अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों और एक प्रभावी आरटीआई उत्तर तैयार करने के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इसका उद्देश्य आरटीआई अनुरोधों का उत्तर देने, अनुपालन सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड बनाए रखने में कौशल को बढ़ाना भी था। कार्यक्रम में सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आरटीआई अधिनियम की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई थीं।

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, सामयिक प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

जर्नल/पत्र–पत्रिकाएं

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवाड्र्स डाइजेस्ट

अवाड्र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

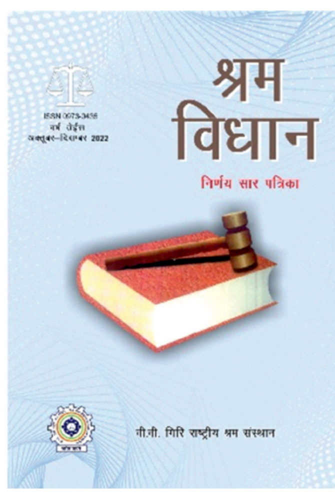

श्रम विधान एक तिमाही हिंदी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही महानिदेशक और अधिकारियों संकाय सदस्यों की पेशेवर व्यस्तताओं पर भी प्रकाश डाला जाता है।

चाइल्ड होप

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर बाल श्रम को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इस न्यूजलेटर में समस्या को मिटाने के लिए विभिन्न सामाजिक भागीदारों की पहल और सर्वोत्तम प्रथाओं का भी दस्तावेजी किया गया है।

श्रम संगम

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

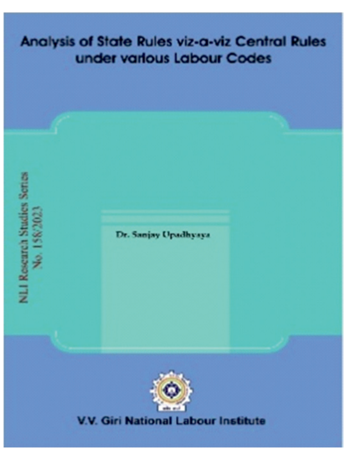

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 160 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2021–22 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

156/2023	ई–रूरल कैंपः एन इन्ट्रोडक्शन टु लेबर कोड्स एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इन इंडिया – *डॉ. शशि बाला*

157 / 2023 ग्रीन जॉब्स इन इंडियाः प्रजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स – *डॉ. शशि बाला*

158 / 2023 एनालिसिस ऑफ स्टेट रूल्स विज–ऐ–वि सेंट्रल रूल्स अंडर वेरिअस लेबर कोड्स – *डॉ. संजय उपाध्याय*

159 / 2023 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशनः मेज़रिंग दि ग्लोबल जेंडर मैप ट्रेंड्स – *डॉ. शशि बाला*

160 / 2023 ई–रूरल कैंपः लेबर कोड्स एंड इनहांसिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी – *डॉ. शशि बाला*

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

डॉ. रूमा घोष
सीनियर फेलो एवं प्रकाशन प्रभारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201301

संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन एवं स्थायीकरण के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1. **ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन एवं स्थायीकरण:** कार्यकारी कुषलता में सुधार तथा पारदर्षिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को भी सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2. **नई वेबसाइट का शुभारंभ एवं सुदृढ़ीकरण:** संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3. **परिसर में वाई–फाई एवं निगरानी प्रणाली का शुभारंभ:** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

स्टाफ की संख्या

(31.03.2024 को)

समूह	संस्वीकृत पद	पदस्थ
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	08
समूह क	05	04
समूह ख	13	10
समूह ग	24	11
समूह घ	25	16
योग	**83**	**50**

संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

डॉ. अरविंद	महानिदेशक

संस्थान की फैकल्टी

1.	डॉ. संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी .	सीनियर फेलो
2.	डॉ. रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	सीनियर फेलो
3.	डॉ. शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सीनियर फेलो
4.	डॉ. एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी	फेलो
5.	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	फेलो
6.	डॉ. एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	फेलो
7.	डॉ. मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी.	फेलो
8.	श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो

अधिकारी

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए	प्रशासनिक अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
3.	नागेश नितला, एम.बी.ए., एम.एस.सी	कार्यक्रम अधिकारी
4.	वैभव रैना, एम. कॉम	लेखा अधिकारी

कर्मचारियों की सूची (समूह ख एवं ग)

समूह ख

1.	एस. के. वर्मा	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	बी. एस. रावत	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
3.	गीता अरोड़ा	पर्यवेक्षक
4.	मोनिका गुप्ता	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
5.	प्रवीण पाण्डेय	पर्यवेक्षक
6.	जगत सिंह	पर्यवेक्षक
7.	सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड – I
8.	सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड – I
9.	राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड – I
10.	राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड – I

समूह ग

1.	नरेश कुमार	सहायक ग्रेड – I
2.	रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड – I
3	नियंग लेम जॉय	आशुलिपिक ग्रेड – II
4.	मनवीर सिंह भंडारी	आशुलिपिक ग्रेड – II
5.	निधि अग्रवाल	आशुलिपिक ग्रेड – II
6.	सत्यवान	सहायक ग्रेड – III
7.	सौरभ कुमार	सहायक ग्रेड – III
8.	अजय कुमार यादव	सहायक ग्रेड – III
9.	अभिषेक रॉय चौधुरी	सहायक ग्रेड – III
10.	संदीप कुमार	सहायक ग्रेड – III
11.	दीपक मोर	सहायक ग्रेड – III

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

एवं

लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा

2023–2024

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में संस्थान का जवाब।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(क)	**आय एवं व्यय लेखा** **स्थापना व्यय (अनुसूची – 20)** उपरोक्त में अनुबंध के आधार पर नियुक्त 'सलाहकार और वित्तीय परामर्शदाता को किए गए भुगतान' के रूप में 30.23 लाख रुपये शामिल हैं। अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान होने के कारण, इसे 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची–21) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' (अनुसूची – 20) में 30. 23 लाख रुपये की अतियुक्ति और 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची–21) में इतनी ही राशि की न्यूनोक्ति पायी गयी।	जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया है, इसे वर्ष 2024–25 से 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची–21) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(ख)	**सामान्य** संस्थान ने चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11) के अंतर्गत 'विद्युत कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा' से संबंधित 3.92 लाख रुपये की राशि को 'जमा' के रूप में शामिल नहीं किया है। संस्थान को इसे उपयुक्त रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।	इसे वर्ष 2024–25 से शामिल किया जाएगा तदनुसार, इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(ग)	**सहायता अनुदान** वर्ष के दौरान संस्थान को 1358.29 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 391.28 लाख रुपये की आंतरिक आय सृजित की गई। इसमें 106.49 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि 1856.06 लाख रुपये हुई। संस्थान ने 1704.19 लाख रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2024 को 151.87 लाख रुपये का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुबंध

क्रम सं.	टिप्पणी	जवाब
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2023–24 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता निम्नलिखित रूप में वर्णित है: (i) वार्षिक लेखा में पृष्ठ क्रमांकन नहीं किया गया है। इसके अलावा, अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची – 8) 31.10.2023 तक और 31.10.2023 के बाद के योग को दर्शाती है, लेकिन संस्थान ने वार्षिक लेखा (अनुसूची 09 से 22) में 31.03.2024 को समाप्त वर्श के लिए खातों का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियों के बजाय 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियों का गलत उल्लेख किया है। (ii) संस्थान में 68 पदों के मुकाबले 18 पदों की कमी है। इन्हें भरा जाना चाहिए।	आवश्यक सुधार शामिल कर लिया गया है। रिक्त पदों को भरने का कार्य प्रगति पर है। इनमें से अधिकांश पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं, जिसके लिए पात्र फीडर कैडर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।
3.	**अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2023–24 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	**वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2023–24 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

सत्यमेव जयते

BRANCH: DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), LUCKNOW AT PRAYAGRAJ

Ltr No: Central Expenditure/2024-2025/DIS-2143869
Date: 25 Oct 2024

To,

Director General,
V. V. Giri National Labour Institute, Noida

Subject: Issue of Separate Audit Report: PR-130953 on the Accounts of V V Giri National Labour Institute, Noida for the year 2023-24

Sir/Madam,

वर्ष 2023-24 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति महानिदेशक, V V Giri National Labour Institute Noida Uttar Pradesh को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अंकित होना चाहिए : ''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरुप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

Yours faithfully,

SARITA KUMARI GUPTA
Director (CE)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। संस्थान की लेखापरीक्षा 2027–28 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पण ी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्प टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे,

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं,

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

(क) आय एवं व्यय लेखा

स्थापना व्यय (अनुसूची–20)

उपरोक्त में अनुबंध के आधार पर नियुक्त 'सलाहकार और वित्तीय परामर्शदाता को किए गए भुगतान' के रूप में 30.23 लाख रुपये शामिल हैं। अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान होने के कारण, इसे 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची–21) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' (अनुसूची – 20) में 30.23 लाख रुपये की अतियुक्ति और 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची–21) में इतनी ही राशि की न्यूनोक्ति पायी गयी।

(ख) सामान्य

संस्थान ने चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11) के अंतर्गत 'विद्युत कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा' से संबंधित 3.92 लाख रुपये की राशि को 'जमा' के रूप में शामिल नहीं किया है। संस्थान को इसे उपयुक्त रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

(ग) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान संस्थान को 1358.29 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 391.28 लाख रुपये की आंतरिक आय सृजित की गई। इसमें 106.49 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि 1856.06 लाख रुपये हुई। संस्थान ने 1704.19 लाख रुपये का उपयोग किया और 31 मार्च 2024 को 151.87 लाख रुपये का अंत शेष रहा।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2024 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है: और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

दिनांकः 25.10.2024 **ह./**

स्थानः लखनऊ **प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक ;सेन्ट्रलद्ध**

अनुबंध

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता

वर्ष 2023–24 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता निम्नलिखित रूप में वर्णित हैः

(i) वार्षिक लेखा में पृष्ठ क्रमांकन नहीं किया गया है।

(ii) अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची – 8) 31.10.2023 तक और 31.10.2023 के बाद के योग को दर्शाती है, लेकिन संस्थान ने 31.10.2023 के बजाय 31.03.2024 का गलत उल्लेख किया है।

(iii) वार्षिक लेखा (अनुसूची 09 से 22) में 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियों के बजाय 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियों का गलत उल्लेख किया गया है। इस गलती को सुधारने की आवश्यकता है।

संस्थान में 68 पदों के मुकाबले 18 पदों की कमी है। इन्हें भरा जाना चाहिए।

3. अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2023–24 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4. वस्तु.सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2023–24 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

ह./

उप निदेशक (सी.ई.)

कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
21/201, ईस्ट एंड अपार्टमेंट,
मयूर विहार फेज–I एक्सटेशन, दिल्ली – 110096

सेवा में,

महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर – 24, जिला – गौतमबुद्ध नगर
नौएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2023–24)

हमने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (संस्थान) के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2024 को यथा स्थिति तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शामिल हैं, की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेष करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी षामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2024 को यथास्थिति संस्थान के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2024 को को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय–व्यय खाते के मामले में संस्थान के अधिशेष से संबंधित है और,

ग) जहां तक यह, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

कमल कुमार
प्रोपराइटर
कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 041479एन
सदस्यता सं. 537361
यूडीआईएनः 24537361बीकेएचआईजेडजेड4675
नई दिल्ली
25 जून 2024

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को यथास्थिति तुलनपत्र

देयताएं	अनु.	31.03.2024 के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	101,352,272.89	108,086,223.18
आरक्षित एवं अधिशेष/विकास निधि	2	221,547,317.09	196,839,017.58
उद्दिष्ट निधि/बंदोबस्ती निधि	3	19,802,796.27	17,719,650.67
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	96,668,301.47	76,272,208.47
योग		**439,370,687.72**	**398,917,099.90**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	8	116,436,887.00	124,165,269.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	9	221,547,317.09	196,839,017.58
निवेशः अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	11	101,386,483.63	77,912,813.32
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
योग		**439,370,687.72**	**398,917,099.90**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, 24
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 25

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतः कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 041479एन)

कमल कुमार	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 537361	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली
दिनाँकः 25 जून 2024
यूडीआईएनः 24537361बीकेएचआईजेडजेड4675

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

ब्यौरे	अनु.	31.03.2024 के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
सहायता अनुदान/सब्सिडी	13	131,000,000.00	125,700,000.00
फीस एवं अभिदान	14	27,718,121.16	15,850,915.00
निवेष से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,094,172.80	1,787,026.00
अन्य आय	18	9,315,397.90	4,709,420.80
स्टॉक में वृद्धि/कमी और प्रगतिरत कार्य/पूर्व अवधि आय	19	-	-
जोड़ (क)		**170,127,691.86**	**148,047,361.80**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	85,819,462.00	78,699,559.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	17,959,086.15	14,410,175.92
अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय	22	51,161,325.00	44,287,733.08
ब्याज/पूर्व अवधि व्यय	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	14,530,755.00	15,768,224.00
जोड़ (ख)		**169,470,628.15**	**153,165,692.00**
व्यय से आय की अधिकता से शेष (क–ख)			
जनरल रिजर्व से/में स्थानांतरण		657,063.71	(5,118,330.20)
शेष राशि अधिशेष/घाटा होने पर कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाई गई		**657,063.71**	**(5,118,330.20)**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ,	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ	25		

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 041479एन)

कमल कुमार	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 537361	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली
दिनाँकः 25 जून 2024
यूडीआईएनः 24537361बीकेएचआईजेडजेड4675

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष 31.03.2023	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये) 31.03.2024	पिछला वर्ष 31.03.2023	भुगतान	राशि (रुपये) 31.03.2024
	आदि शेष			**व्यय**	
30,410.95	हस्तगत रोकड़	17,691.95	83,122,368.00	स्थापना व्यय	77,436,959.00
	बैंक में शेष		11,886,777.92	प्रशासनिक व्यय	10,634,901.15
5,624,697.70	चालू खाता	2,165,963.14	46,577,076.25	योजनागत अनुदान का उपयोग	44,828,797.54
6,316.84	बचत खाता परियोजना	6,400.44			
-	बचत खाता, आईओबी–55346	-	1,005,636.00	अचल परिसंपत्तयाँ	6,802,373.00
186,547,729.50	खाते में जमा–विकास निधि	196,839,017.58	94.40	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	94.40
15,873,283.97	ग्रेच्युटी खाता–1130025	13,094,147.84	1,019,391.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	2,678,814.00
12,723,607.78	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	13,027,506.55			
64,033.00	हस्तगत डाक टिकट	57,105.00	173,290.00	स्टाफ को अग्रिम	226,472.00
3,860,467.23	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति 1150006	4,021,182.43			
4,711,593.41	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	10,614,912.28	556,152.00	विभागीय अग्रिम	640,648.00
42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	39,340.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	-
-	जेम (जीईएम) पूल खाता	-	3,027,693.00	पीएओ, सीएलसी को अग्रिम	287,632.00
13,146.00	भारतीय स्टेट बैंक	130,927.00			
	प्राप्त अनुदान			**अंतशेष**	
127,700,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	135,829,019.00			
1,029,783.00	अन्य एजेंसियों से	77,649.00	17,691.95	हस्तगत रोकड़	82.95
-	अन्य परियोजनाओं से	-		**बैंक में शेष**	
	प्राप्त ब्याज		2,165,963.14	चालू खाता आईओबी – 1131	6,559,637.05
9,890,228.56	विकास निधि	14,058,405.51	13,094,147.84	ग्रेच्युटी यूनियन बैंक खाता – 1056278	17,045,715.06
-	उद्दिष्ट निधि	-	13,027,506.55	छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286	13,895,660.77
-	वाहन अग्रिम	-	57,105.00	हस्तगत डाक टिकट	42,883.00
1,639,377.00	बचत खाता	1,940,640.80	196,839,017.58	जमाः विकास निधि	221,547,317.09
178.00	ब्याजः परियोजना खाता	178.00	6,400.44	बचत खाता – परियोजना	6,484.04
12,144,252.04	**फीस/अभिदान**	19,319,927.60	4,021,182.43	ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863	13,589.70
4,709,420.80	**अन्य आय**	9,315,397.90	10,614,912.28	यूनियन बैंक फ्लेक्सी बचत खाता 520141001056979	19,108,377.47
-	**पूर्व अवधि आय**	-	42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00
623,990.00	विभागीय अग्रिम	590,575.00	-	जेम (जीईएम) पूल खाता	3,008,880.00
-	**अग्रिमों की वसूली**	-	130,927.00	भारतीय स्टेट बैंक – 39675453455	136,554.80
158,290.00	स्टाफ से	241,472.00	-	बचत खाता, आईओबी–55346	456,496.00
	अन्य प्राप्तियाँ				
-	आयकर वापसी	4,010,250.00			
31,867.00	प्राप्त जमा प्रतिभूति	-			
387,424,745.78	**जोड़**	**425,400,442.02**	**387,424,745.78**	**जोड़**	**425,400,442.02**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, 24.00
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 25.00
सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 041479एन)

कमल कुमार	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 537361	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली
दिनाँकः 25 जून 2024
यूडीआईएनः24537361बीकेएचआईजेडजेड4675

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

		31.03.2024 के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 1–कॉर्पस/पूँजीगत निधि			
वर्ष के आरम्भ में शेष		108,086,223.18	112,599,976.90
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		(10,649,894.00)	(401,059.52)
जोड़ें: पूंजीगत निधि में अंशदान			
योजनागत अनुदानों से		3,258,880.00	1,005,636.00
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट निधि			
		3,258,880.00	1,005,636.00
व्यय से आय की अधिकता		657,063.71	(5,118,330.20)
	जोड़	**101,352,272.89**	**108,086,223.18**
अनुसूची 2–आरक्षित एवं अधिशेष/विकास निधि			
वर्ष के आरम्भ में शेष		196,839,017.58	186,547,729.50
जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि		10,649,894.00	401,059.52
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज		14,058,405.51	9,890,228.56
	जोड़	**221,547,317.09**	**196,839,017.58**
अनुसूची 3–उद्दिष्ट निधि/बंदोबस्ती निधि			
(क) परिक्रामी एचबीए निधि			
वर्ष के आरम्भ में शेष		8,779,944.93	**8,413,892.93**
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज		488,506.00	352,233.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज		6,292.00	13,819.00
	जोड़ (क)	**9,274,742.93**	**8,779,944.93**
(ख) परिक्रामी कंप्यूटर निधि			
वर्ष के आरम्भ में शेष		652,330.30	**634,324.30**
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज		18,125.00	17,675.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज		-	331.00
	जोड़ (ख)	**670,455.30**	**652,330.30**
(ग) परियोजना निधि			
वर्ष के आरम्भ में शेष		6,400.44	6,316.84
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		-	-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज		178.00	178.00
घटाएं: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो		(94.40)	(94.40)
	जोड़ (ग)	**6,484.04**	**6,400.44**
घ. प्रगतिरत कार्य			
वर्ष के आरम्भ में शेष		8,280,975.00	7,286,611.00
जोड़ें: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट–एनआईसीएसआई		1,570,139.00	994,364.00
घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि		-	
	जोड़ (घ)	**9,851,114.00**	**8,280,975.00**
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**19,802,796.27**	**17,719,650.67**
अनुसूची 4–सुरक्षित ऋण और उधार			
	जोड़	-	-
अनुसूची 5–असुरक्षित ऋण और उधार			
	जोड़	-	-
अनुसूची 6–आस्थगित ऋण देयताएं			
	जोड़	-	-
अनुसूची 7–चालू देयताएं एवं प्रावधान			
क – चालू देयताएं			
ईएमडी और जमा प्रतिभूति		21,260.00	2,411,145.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं		21,565,912.47	6,517,252.47
जीएसटी आउटपुट		1,702,443.00	838,293.00
			-
	जोड़ (क)	**23,289,615.47**	**9,766,690.47**
ख – प्रावधान			
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं		73,378,686.00	66,505,518.00
	जोड़ (ख)	**73,378,686.00**	**66,505,518.00**
	जोड़ (क+ख)	**96,668,301.47**	**76,272,208.47**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची 8–अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष की शुरुआत में 01.04.2023 को लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन 03.10.2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन 03.10.2023 के बाद	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में 31.03.2024 को लागत/मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक योग	वर्तमान वर्ष के अंत तक स्थिति	पिछले वर्ष के अंत तक स्थिति
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	104,077,811			-	104,077,811	10,407,781	-		10,407,781	93,670,030	104,077,811
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	2,440,811			-	2,440,811	244,081	-		244,081	2,196,730	2,440,811
उपकरण	15%	13,914,269		4,821,163	-	18,735,432	2,087,142	361,587		2,448,728	16,286,704	13,914,269
वाहन	15%	140,342			-	140,342	21,051	-		21,051	119,291	140,342
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	162,709			-	162,709	65,084	-		65,084	97,625	162,709
कंप्यूटर	40%	603,042		1,981,210	-	2,584,252	241,217	396,242		637,459	1,946,793	603,042
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%	2,826,285			-	2,826,285	706,570	-		706,571	2,119,714	2,826,285
जोड़		**124,165,269**	**-**	**6,802,373**	**-**	**130,967,642**	**13,772,926**	**757,829**	**-**	**14,530,755**	**116,436,887**	**124,165,269**

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

	अनुसार आंकड़े 31.03.2024	अनुसार आंकड़े 31.03.2023
अनुसूची 9–निवेश : उद्दिष्ट निधियाँ		
क. विकास निधि		
सावधि जमा खाते	207,839,388.45	190,566,107.01
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	13,682,924.25	6,250,166.66
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता–10355	25,004.39	22,743.91
जोड़ (क)	**221,547,317.09**	**196,839,017.58**
अनुसूची 10–निवेश : अन्य		
जोड़	-	-
अनुसूची 11–चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम		
(क) चालू परिसंपत्तियाँ		
अ. नकदी एवं बैंक में शेष		
हस्तगत नकदी	82.95	17,691.95
बैंक में शेष:		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाता सं. 1131 में	6,559,637.05	2,165,963.14
यूनियन बैंक: एसबी फ्लेक्सी खाता सं. 1056979	19,108,377.47	10,614,912.28
ग्रेच्युटी एसबी यूनियन बैंक खाता–1056278	17,045,715.06	13,094,147.84
छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक–1056286	13,895,660.77	13,027,506.55
ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक–1056863	13,589.70	4,021,182.43
डाक टिकट खाता	42,883.00	57,105.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	42,073.00
वीवीजीएनएलआई जेम (जीईएम) पूल खाता	3,008,880.00	-
भारतीय स्टेट बैंक: एसबी खाता – 3455	136,554.80	130,927.00
इंडियन ओवरसीज बैंक बचत खाता – 55346	456,496.00	-
जोड़ (क) -	**60,309,949.80**	**43,171,509.19**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

(ख) अनुसूची 11–चालू परिसंपत्तियाँ, परिक्रामी निधि...

अ. परिक्रामी एचबीए निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंक/एसबीआई: एफडीआर	5,827,584.00	5,827,584.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	519,755.00	94,378.00
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता–2637	2,468,049.93	2,212,476.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	459,354.00	645,506.00
जोड़ (क)	**9,274,742.93**	**8,779,944.93**
ब. परिक्रामी कंप्यूटर निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता 7942	670,455.30	652,330.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	-	-
जोड़ (ब)	**670,455.30**	**652,330.30**
जोड ख (अ+ब)	**9,945,198.23**	**9,432,275.23**

(ग) परियोजना खाता

	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	बैंक प्रभार	31.03.2024 के अनुसार आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक में एसबी खाता में						
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	4,856.44	-	135.00	-	94.40	4,897.04
एसबी खाताः यूनियन बैंक						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि-520101223527943	1,544.00	-	43.00	-		1,587.00
जोड़ (ग)	**6,400.44**	-	**178.00**	-	**94.40**	**6,484.04**
जोड़ (क+ग)	**43,177,909.63**					**60,316,433.84**

(घ). ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान वसूली / समायोजित		31.03.2024 के अनुसार आंकड़े
अ. स्टाफ को					
एलटीसी अग्रिम	15,000.00	226,472.00	241,472.00		-
जोड़ (अ)	**15,000.00**	**226,472.00**	**241,472.00**	-	-
ब. अन्य ऐजेंसियों को					
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18	89,098.00	-	-		89,098.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19	3,639,780.00	-	-		3,639,780.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2020–21	574,528.00		-		574,528.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2020–21	3,557,733.00		-		3,557,733.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2021–22	457,830.00	-			457,830.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2023–24	-	2,564,503.00			2,564,503.00
जोड़ (ब)	**8,318,969.00**	**2,564,503.00**	-	-	**10,883,472.00**

अनुसूची 11–चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

	31.03.2024 के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
(ङ) अन्य अग्रिम		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	285,136.00	248,474.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	36,134.00	36,134.00
स्रोत पर कर की कटौती	4,507,865.40	5,477,312.50
टीडीएस पर जीएसटी		26,698.96
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	356.00	
विभागीय अग्रिम (पी.)	69,717.00	20,000.00
पूर्वदत्त खर्चे	1,476,734.00	1,471,794.00
विविध देनदार	9,126,109.16	5,236,550.00
सेवा कर विभाग	1,424,003.00	1,424,003.00
पीएओ, सीएलसी को अग्रिम	3,315,325.00	3,027,693.00
जोड़ (ङ)	**20,241,379.56**	**16,968,659.46**
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**101,386,483.63**	**77,912,813.32**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2024 के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 12–बिक्री/सेवाओं से आय		
जोड़	-	-
अनुसूची 13–सहायता अनुदान/सब्सिडी		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान	135,829,019.00	127,700,000.00
जोड़	**135,829,019.00**	**127,700,000.00**
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट–एन.आई.सी.एस.आई.	1,570,139.00	994,364.00
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	3,258,880.00	1,005,636.00
	(4,829,019.00)	**(2,000,000.00)**
आय और व्यय खातों में दर्शायी गयीं राशियाँ	**131,000,000.00**	**125,700,000.00**
अनुसूची 14–फीस एवं अभिदान		
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	27,701,511.16	15,819,755.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट का अभिदान	1,820.00	14,250.00
लेबर एंड डेवलपमेंट का अभिदान	3,250.00	12,250.00
श्रम कानून–शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	11,000.00	1,000.00
श्रम विधान अभिदान	540.00	3,660.00
जोड़	**27,718,121.16**	**15,850,915.00**
अनुसूची 15–निवेश से आय		
जोड़	-	-
अनुसूची 16–रॉयल्टी, प्रकाशन से आय		
जोड़	-	-
अनुसूची 17–अर्जित ब्याज		
स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	-	
प्राप्त ब्याज	2,094,172.80	1,787,026.00
	2,094,172.80	**1,787,026.00**
अनुसूची 18–अन्य आय		
गैर–योजनागत आय	3,523,929.00	156,826.80
हॉस्टल के उपयोग से आय	5,109,294.40	3,842,488.00
फोटोस्टेट से आय	358,281.00	592,006.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया–लाइसेंस शुल्क	128,910.00	117,880.00
अन्य प्राप्तियों से आय	1,111.00	220.00
टीडीएस वापसी पर ब्याज	193,872.50	-
जोड़	**9,315,397.90**	**4,709,420.80**
अनुसूची 19–स्टॉक में वृद्धि/कमी और प्रगतिरत कार्य/पूर्व अवधि आय		
	-	-
जोड़	-	-
अनुसूची 20–स्थापना व्यय		
स्टाफ को वेतन	61,209,677.00	56,808,634.00
भत्ते	3,441,781.00	4,412,975.00
एनपीएस में अंशदान	8,019,550.00	9,195,035.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत्त लाभ पर व्यय	11,974,462.00	7,947,720.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	1,173,992.00	335,195.00
जोड़	**85,819,462.00**	**78,699,559.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

		31.03.2024 के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय			
विज्ञापन एवं प्रचार		25,326.00	95,711.00
भवन मरम्मत और उन्नयन		488,743.00	206,236.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार		5,543,459.00	5,389,867.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय		189,297.00	204,521.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय		234,342.00	258,183.00
विविध व्यय		143,334.15	161,864.41
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय		6,619,919.00	3,697,908.51
फोटोस्टेट व्यय		230,947.00	20,487.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार		56,953.00	118,629.00
मुद्रण और लेखन सामग्री		334,555.00	284,072.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद		3,543,493.00	-
मरम्मत एवं रखरखाव			
क. कंप्यूटर		187,695.00	390,658.00
ख. कूलर/ए.सी		1,133,754.00	611,198.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध		16,299.00	545,445.00
स्टाफ कल्याण व्यय		594,807.00	328,332.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार		188,717.00	154,174.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे		398,812.00	175,172.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे		791,263.00	935,892.00
जल प्रभार		780,864.00	831,826.00
	जोड़	**21,502,579.15**	**14,410,175.92**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत		**3,543,493.00**	
आय और व्यय खाते में अंतरित धनराशि		**17,959,086.15**	**14,410,175.92**
अनुसूची 22–अनुदान और सब्सिडी पर व्यय			
क. अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण			
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन		5,549,038.00	6,812,458.00
शिक्षण कार्यक्रम		15,957,384.00	15,461,981.00
ग्रामीण कार्यक्रम		777,967.00	645,767.00
सूचना प्रौद्योगिकी		854,140.00	481,690.00
परिसर सेवाएं		22,788,389.00	17,418,448.00
	जोड़ (क)	**45,926,918.00**	**40,820,344.00**
ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं			
शिक्षण कार्यक्रम		3,166,755.00	2,439,897.08
परियोजनाएं (जिनमें कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)		1,006,964.00	137,044.00
	जोड़ (ख)	**4,173,719.00**	**2,576,941.08**
ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना			
पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान		1,060,688.00	890,448.00
पुस्तकालय की पुस्तकें		-	-
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण			
	जोड़ (ग)	**1,060,688.00**	**890,448.00**
घ. अवसंरचना			
अवसंरचना विकास		4,829,019.00	2,000,000.00
	जोड़ (घ)	**4,829,019.00**	**2,000,000.00**
योजनागत अनुदानों पर कुल व्यय (क से घ)		**55,990,344.00**	**46,287,733.08**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि		1,570,139.00	994,364.00
घटाएंः पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत		3,258,880.00	1,005,636.00
		4,829,019.00	2,000,000.00
आय और व्यय खाते में अंतरित धनराशि		**51,161,325.00**	**44,287,733.08**
अनुसूची 23 – ब्याज/पूर्व अवधि व्यय			
		-	-
	जोड़	-	-

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणियां

अनुसूची सं. 24: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय औचित्य के मानक

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2. वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3. अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%
कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र	40%
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%

5. पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटी)

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है। संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6. पूर्व अवधि समायोजन

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7. वस्तु सूचियाँ

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8. कर्मचारी हितलाभ

संस्थान ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

9. विकास निधि

संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र सं. जी–26035/1/2002–ईएसए (एनएलआई) दिनांक 02.04.2002 के माध्यम से जारी निदेशों के अनुसार विकास निधि सृजित की थी जिसमें व्यय से अधिक आय को प्रत्येक वर्ष के अंत में हस्तांतरित किया जा रहा था। सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्यह्रास की अवधारणा की शुरूआत के बाद, संस्थान विकास निधि में मूल्यह्रास चार्ज करने से पहले अधिशेष स्थानांतरित करता है क्योंकि मूल्यह्रासं निधि का बहिर्वाह नहीं है।

अनुसूची सं. 25ः लेखा पर टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

31.03.2010 को समाप्त वर्श तक संस्थान जो एक गैर.लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और तदुनसार प्रावधान किए गए हैं।

2. निवेश नीति

संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम की धारा XIV(ii) के अनुसार निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3. सहायता अनुदान

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4. पूंजीगत एवं राजस्व लेखा

पूंजीगत स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5. विविध देनदार और विविध लेनदार

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान. अन्य एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

6. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन भूमि के अलावा ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अनुसूची 24 के पैरा 4 प्रतिशत ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद शुरूआती डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

7. परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8. सरकारी धन का रुकना

संस्थान द्वारा अवसरंचना संबंधी कार्य आम तौर पर सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई के माध्यम से

किए जाते हैं। संस्थान में विभिन्न सिविल एवं इलैक्ट्रिकल आदि कार्यों के निर्माण/नवीनीकरण/आईटी अवसंरचना के लिए इन सरकारी एजेंसियों को अग्रिम दिया जाता है। आज तक 10883472.00 रुपए की शेष राशि के लिए सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित हैं।

9. संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2024 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

विवरण	**31.03.2024 तक प्रावधान**	**31.03.2023 तक प्रावधान**
उपदान	4,21,33,251.00	3,84,34,504.00
अर्जित अवकाश	3,12,45,435.00	2,80,71,014.00
	7,33,,78,686,00	6,65,,05,518,00

10. आयकर विवरणी

संस्थान ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी। संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11. आगे ले जाया गया अधिशेष

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजना अनुदान कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12. आकस्मिक देयताएं

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13. **आरक्षित एवं अधिशेष अनुसूची**

लेखा परीक्षा के निदेशानुसार एचबीए, कंप्यूटर, बाहरी परियोजना निधि एवं प्रगतिरत कार्य को उद्दिष्ट निधि में शामिल किया गया है।

14. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूचियां 1 से 25 हस्ताक्षरित

कृतेः कमल तिवारी एंड एसोसिएट्स | **कृतेः वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान**

सनदी लेखाकार (एफआरएन 041479एन)

कमल कुमार	**वैभव रैना**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 537361	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 25 जून 2024

यूडीआईएनः 24537361बीकेएचआईजेडजेड4675

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in